छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025

(फाल्गुन 21, शक सम्वत् 1946)

[अंक 12]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025

(फाल्गुन 21, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सभी सदस्यों को सफेद ड्रेस पहनकर आने के लिए बोला गया था तो मुझे लगता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने आज बाल को भी सफेद करवा लिया है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप सब लोगों ने निर्णय लिया था कि आज सफेद ड्रेस पहनकर आना है तो नेता प्रतिपक्ष तो सब चीजों का पालन करते हैं लेकिन आप रंगीन पहने हैं, वह रंगीन पहने हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे लग रहा है कि आपने बाल भी सफेद करवा लिया है।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, मैं बाल भी सफेद करवा कर आया हूं।

[मंगलवार,दिनांक 25 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित ता.प्र.सं.- 3 (*क्र. 226)]

प्रदेश में भारतमाला परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (*क्र. 226) डॉ. चरण दास महंत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारतमाला परियोजना हेतु जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में अर्जित निजी, शासकीय एवं वन भूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण दें? मुआवजे की दरें क्या हैं? तीनों प्रकार की भूमि में कितने-कितने पेड़ों की कटाई हो रही है ? इस हेतु मुआवजा की दरें क्या हैं? कितनी राशि जमा की गई है ? **(ख)** कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है? कितना वितरण किया जाना शेष है ? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? **(ग)** क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे

टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? कलेक्टर रायपुर द्वारा संस्थित जांच का निष्कर्ष तथा लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण बताएं ? **(घ)** कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। ख) शेषांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग)** कलेक्टर, रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.2024 जांच प्रतिवेदन (की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" भाग के साथ)** के अनुसार ग्राम नायकबांधा में 13 मूल खसरों को 53 छोटे-छोटे भू-खण्डों में बटांकन करके मुआवजा वितरण किये जाने का लेख किया गया है। कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि अर्जन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत क्रय-विक्रय के प्रकरणों को शामिल किए जाने तथा पूर्व दिनांक के फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है। जिला कलेक्टर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा श्री लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, श्री जितेन्द्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी क्र. 49 नायकबांधा, श्री दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का 49 नायकबांधा, श्री लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी 24 टोकरो, निलंबित किया गया है। शेष व्यक्तियों, श्री निर्भय साहू, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम अधिकारी (भू-अर्जन), श्री शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। **(घ)** शेषांश की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार है।**

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूं। आखिर वह घड़ी आ गई, जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। माननीय राजस्व मंत्री जी बहुत प्रसन्न हैं। मैंने भारतमाला परियोजना में जो भू-अर्जन का सवाल उठाया था, मैं उसे आपको एक मिनट में समझा देता हूं। 13 मूल खातेदारों के खसरों को 54 टुकड़ों में बांटा गया। एक गांव में एक मूल खसरा के 4 टुकड़े किये गये। तीसरे गांव में 4 मूल खसरे के 33 टुकड़े किये गये। मैंने रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के जिन 4 गांवों के मुआवजा प्रकरण पर यह सवाल उठाया है, उसमें केंद्र सरकार को लगभग 43 करोड़ 19 लाख रूपये का आर्थिक नुकसान कराया गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह बातें स्वीकार की है। यह केंद्र का पैसा है, जिसमें राज्य का भी कुछ हिस्सा हो सकता है। अभी मैंने जांच में केवल 4 गांवों के बारे में ही पूछा था। पूरी भारतमाला परियोजना के तहत जो सड़कें बन रही है, यदि उसका हिसाब लगाया जाये तो उसमें लगभग 350 करोड़ से भी ज्यादा का अतिरिक्त भुगतान किया गया है, जिसे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया है। जिसके संबंध में शायद दो अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें हमारे बहुत से बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों, तीनों, जितने भी दल हैं, उनके

नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसकी सी.बी.आई. से जांच करवा दीजिये। यहां बहुत सारी जांच चल ही रही है। यहां पर ई.डी., सी.बी.आई. और कई जांच चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस भारतमाला प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच से कराने की कृपा करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका कोई प्रश्न ही नहीं आया है। केवल अनुरोध आया है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भू-अर्जन की कार्रवाई की गयी है। जो भू-अर्जन हुआ है, उसमें काफी अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। मैं इसमें संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर, विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभिक अधिसूचना भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.01.2020 को जारी की गयी थी तथा दिनांक 18.03.2021 को अर्जन किये जाने का अवार्ड पारित किया गया। उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में शिकायतकर्त्ता श्री कृष्ण कुमार साहू एवं हेमंत देवांगन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी अभनपुर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा शासकीय भूमि एवं निजी भूमि को उप खंडों में विभाजित कर, शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कर, तथ्यात्मक टीप उपलब्ध कराये जाने हेतु कलेक्टर जिला रायपुर को विभागीय पत्र दिनांक 16.08.2022 को लिखा गया। साथ ही कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग के पत्र दिनांक 15.05.2024 एवं दिनांक 17.05.2024 द्वारा शिकायकर्ता श्रीमती पूजा बघेल सभापति राजस्व स्थायी समिति कार्यालय जनपद पंचायत अभनपुर जिला रायपुर एवं नरेन्द्र कुमार पारख संचालक स्वामी बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड की शिकायत पत्र विभाग में प्रेषित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें जो अध्ययन किया है तो इस भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी तो हुई है और इसमें दो-तीन तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। एक तो अधिसूचना जारी होने के बाद रकबे का टुकड़ा किया गया। एक बार इसमें जो जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी, फिर से दोबारा उसका भू-अर्जन किया गया। इसमें मुआवजा भी जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उसकी जगह किसी और को मुआवजा मिल गया। तीसरा, जो ट्रस्ट की जमीन है, वह चेक, ट्रस्ट को मिलना चाहिए और जो चेक ट्रस्ट को न मिलकर, ट्रस्ट के किसी निजी व्यक्ति को मिल गया। मैंने जो इसमें अध्ययन किया है तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अभी भी लगातार इनकी शिकायतें आ रही हैं। इस पर जो शिकायतें आ रही हैं उसके संबंध में कार्यवाही भी हो रही है। इसमें कुछ डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी निलंबित हुए हैं और यह जो बटांकन, टुकड़ों का खेल चला है। अभी पिछले विधान सभा सत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार ने इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक

अधिनियम पास किया है कि यदि किसी भी परियोजना की बात आती है, हमें कोई आशय पत्र मिलता है तो तुरंत वहां पर रजिस्ट्री, नामांतरण और टुकड़ा करना, यह सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। इसमें गड़बड़ी तो हुई है। इसमें जांच भी चल रही है और कार्यवाही भी हो रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, आपने खड़े होकर यह स्वीकार किया, उसके लिए आपको धन्यवाद्। उन 6 गांवों जो अभी 43 करोड़ 19 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ है। इसमें दु:ख की बात यह है कि इसका प्रकाशन होने के बाद बंटवारा हुआ। इसमें बिना प्रकाशन के और कितना बंटवारा हुआ होगा। मैंने बता दिया कि यह लगभग 350 करोड़ रूपये है। इसमें आपने कुछ अधिकारियों को निलंबित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री और आपको भी यह दिखाना चाहता हूँ कि यह एक प्रश्न का उत्तर है। यहां आप जब गड़बड़ी को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें मैं केवल दो ही मांगे रख रहा हूँ कि जिन-जिन अधिकारियों ने ऐसी गड़बड़ी की है, जो आपको सौभाग्य से मिल रहे हैं, उनके खिलाफ एफ.आई.दर्ज करके, इनको जेल रवाना कर दें। अभी भी मेरी दूसरी मांग यह है कि यह प्रकरण छोटा-मोटा नहीं है। यह भारत सरकार और भारतमाला परियोजना का मामला है। आपके और हमारे पुराने प्रधान मंत्री जी के सपने हैं। अभी माननीय विष्णु देव साय जी के सपने हैं। इसके लिए आप सी.बी.आई. से जांच कराना स्वीकार कर लीजिए। इसकी जांच भी हो जाएगी और आने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे। इसमें यह नामांतरण और बंटवारे का काम बंद हो जाएगा। यहां सदन में सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसके लिए आप सी.बी.आई. से जांच को स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बोलिए।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमें जैसे-जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हम उन पर कार्यवाही कर रहे हैं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए
पिछले विधान सभा सत्र में हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने विधेयक पारित किया है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाये जाएंगे, उन पर कार्यवाही होगी और आप यह देख रहे हैं कि इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है। इसमें जितने प्रकरण और शिकायतें आएंगी, हम उसकी सूक्षमता से जांच करवायेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूँ कि इसमें निलंबन के बजाए इनके विरूद्ध एफ.आई.दर्ज किया जाये। इसमें किस बात की दिक्कत है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी राजनीति में 45 सालों से हैं, आप भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और सभी हमारे मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सब जानते हैं। यहां जाल ऐसा है, मायाजाल कहिये, चाहे अधिकारियों का जाल कहिये, कहीं न कहीं से वह जाल को काटकर वह निलंबित आदमी फिर आकर काम करने लगता है। आप लोग अभी-अभी कई प्रकरणों में देखे होंगे, निलंबित हो गया, फिर बहाल हो गया, फिर आने के

बाद हमारे पुराने शरीर को, जमीन को, कपड़ों को वही कुतर रहा है और तार-तार करके चला जा रहा है। हम लोग अगर सचेत नहीं हुए तो लोकतंत्र में अच्छा उदाहरण नहीं जायेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, माननीय राजस्व मंत्री जी, मैं बहुत शांति से प्रश्न कर रहा हूं और हाथ जोड़कर इधर दोनों तरफ अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी यह जांच की मांग को स्वीकार कर लें। यह केन्द्र सरकार का पैसा है या कह लीजिए कि नरेन्द्र मोदी जी का पैसा है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चारों इंजन सरकार का है। आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है ? मैं तो सिर्फ सी.बी.आई. जांच की मांग कर रहा हूं।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जितनी भी तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं चाहे वह दोबारा भू-अर्जन की बात हो, खसरे को टुकड़े करने की बात हो, ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट के एक सदस्य को देने की बात हो, जितने भी विषय आ रहे हैं, शिकायत आ रही है, उसकी गंभीरतापूर्वक जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी हम सूक्ष्मता से, गहराई से कमिश्नर से जांच करायेंगे और किसी दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से था। मुझे पता है कि सी.बी.आई. जांच का निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे, आप शायद नहीं ले पायेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस प्रकरण की जांच सी.बी.आई. को सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें तो बेहतर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके जमाने का है। आप यह मान सकते हैं कि यह पिछली सरकार के जमाने में हुआ होगा। जब मैं खड़े होकर पिछली सरकार की जांच की बात कर रहा हूं, उस समय के घपले की बात कर रहा हूं तब भी आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं होंगे ? आपकी सरकार के समय का होता तो एक बार बचा लेते, यह तो कब से चल रहा है। आप थोड़ा गंभीरता से सोचिये और माननीय मंत्री जी आप ही सिफारिश करिये की सी.बी.आई. की जांच हो।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की शिकायत गंभीर है और उसकी गंभीरता को लेते हुए हमने इसमें जांच शुरू की है, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई भी की है। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जितनी शिकायतें आ रही हैं, हम एक-एक करके उन शिकायतों की जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जायेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यह गंभीर विषय है। इससे राज्य शासन को भी हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय का प्रश्न एक ही बिन्दु पर अटका हुआ है विभागीय जांच करायेंगे या इस पूरे प्रकरण को सी.बी.आई. में देने के लिए तैयार हैं ? आप हां या नहीं में जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढें।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी संभागीय आयुक्त से जांच करायेंगे, सी.बी.आई. की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, प्रश्न का जवाब आ गया।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान हैं। मैं इनसे एक बार और अनुरोध करना चाहता हूं कि इसको संज्ञान में लेकर वह स्वयं सी.बी.आई. से जांच कराने जाने की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्व मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अगर आपको जांच में किसी तरह की शिकायत होगी तो बिल्कुल कहियेगा। आप तो अपनी सरकार में सी.बी.आई. को ही बैन करके रखे थे। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है । आपने सही फरमाया कि हमने अपने कार्यकाल में सी.बी.आई. को बेन रखा है लेकिन आपकी कृपा से पूरे छत्तीसगढ़ का भाग्य जागा है, आपने सी.बी.आई. को खोल दिया है तो अब हमें वह पुरानी बात याद नहीं रखनी चाहिए । चूंकि राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रही है और हम इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं । हमें पूरा विश्वास है कि कुछ दिन बाद वह निलंबित हो जायेगा, अब खबरें आने लगी हैं तो मैं आपसे निवेदन कर लेता हूं कि आप ईजाजत दें, आप मेरी बात सुन लें और इसमें विधायकों का एक दल बना दीजिये वह जांच कर ले, यह तो आपके ऊपर है । विधायकों की समिति से जांच करा लें, यह तो आप कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- निर्णय तो मंत्री जी को करना है ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आप सक्षम हैं कि आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या विधायकों की समिति बनाकर जांच करने के लिये आप सहमत हैं ? माननीय नेता प्रतिपक्ष का यह प्रश्न है कि सी.बी.आई. से नहीं कराना चाहते तो क्या विधायकों की समिति से करा सकते हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण की जांच के लिये हमारे संभागीय आयुक्त पर्याप्त है, हम उनके माध्यम से जांच करायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये इसकी जांच कई बार हुई है । संभागीय आयुक्त के नीचे तक के अधिकारी लोग इसमें इंवाल्व हैं । मैं कोई नाम वगैरह नहीं लेना चाहता, मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि इसमें आई.ए.एस. के ऑफिसर इंवाल्व हैं तो मैं इसीलिये कह रहा हूं, मैं

आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी ओर से स्वयं सक्षम हैं । इसकी विधायक के माध्यम से जांच करा लीजिये, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ का भला होगा, केंद्र सरकार का भला होगा और आने वाले दिनों में आप लोग जो सुशासन की बात कर रहे हैं तो सुशासन की दिशा में एक कदम होगा ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि शिकायतें आ रही हैं उस पर जांच हो रही है और जिस तरह से माननीय नेता जी ने कहा कि यह एह वृहद् 350 करोड़ का मामला है तो इसमें आप शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं या आप इसकी वृहद् जांच करायेंगे ? आप लोग किस तरह की जांच कर रहे हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विषय में जांच की शुरूआत तभी होती है जब कहीं से शिकायतें प्राप्त होती हैं । शिकायत मिलती है तभी जांच की शुरूआात होती है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद तो आपकी जांच की टीम बनेगी, जांच के बिंदु बनेंगे उसके बाद जांच करायेंगे कि जो शिकायत आयी है उसी के आधार पर आप जांच करायेंगे इसीलिये तो नेता जी बार-बार यह बोल रहे हैं कि इसको सी.बी.आई. को दे दीजिये क्योंकि आप शिकायतों के आधार पर जो जांच कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है इसीलिये वह चाह रहे हैं कि आप इसको सी.बी.आई. को दे दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मामला है । यह 350 करोड़ रूपये का मामला है । (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप लोग एक नीति स्पष्ट कर लीजिये, आप कभी कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी की जांच पर भरोसा नहीं है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) इसमें माननीय नेता जी का प्रश्न लगने के बाद भी हुआ है । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- माननीय उमेश जी, आप तय कर लीजिये । कभी आप सी.बी.आई. को गाली देते हैं, कभी आप ई.डी. के ऊपर प्रश्नचिह्न उठाते हैं । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 350 करोड़ का मामला है । न जाने कितने आई.ए.एस. इसमें हैं, इस तरह की चीजों को चूंकि यह एक बड़ा मामला है । (व्यवधान) इसमें पता नहीं कितने अधिकारी उसमें हैं ? (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप पहले तय कर लीजिये कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं है ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के मामलों में जांच नहीं होगी तो कैसे होगा ? (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह 350 करोड़ का मामला है तो जांच सी.बी.आई. की ही बनती है । (व्यवधान) 350 करोड़ का मामला है, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप पहले सी.बी.आई. को बेन करते हो फिर सी.बी.आई. जांच की मांग करते हो । (व्यवधान) आप लोग चाहते क्या हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, रिकेश जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हां तो जांच करिए न, सी.बी.आई. जांच करिये ।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सुन लें । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह स्पष्ट करा दीजिये कि ये लोग वृहद् जांच कर रहे हैं कि शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं ? अभी माननीय मंत्री जी ने दो-दो बार उत्तर दिया । क्या 350 करोड़ रूपये का जो यानी माननीय नेता जी जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें शिकायतों के आधार पर जांच होगी कि एक वृहद् जांच टीम बनेगी ? माननीय नेता जी इसीलिये बार-बार इसकी मांग कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- विधायक दल से जांच करा लीजिये । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप लोगों ने पिछले 5 साल में कितनी बार सी.बी.आई. जांच करवायी ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.बी.आई. जांच मत कीजिये लेकिन विधायक दल की तो घोषणा कर दीजिये । (व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आप पहले यह बताईये कि केंद्रीय एजेंसियों पर आपका विश्वास है कि नहीं है ?

श्री रिकेश सेन :- आप लोगों को अचानक हो क्या गया है ? सबको सी.बी.आई. पर भरोसा हो गया है । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत पाइंटेड है । उसका उत्तर देने दीजिये या तो माननीय मंत्री जी बता दें या तो इसका उत्तर दे दीजिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय - चलिये । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- उमेश जी, आजकल केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा जताने लगे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड प्रश्न है । मैं वह बता रहा हूं ।

श्री रिकेश सेन :- आप कल ई.डी. का ज्ञान दे रहे थे ।

श्री केदार कश्यप :- आप पहले यह तय कर लीजिये कि केंद्रीय एजेंसियों पर आपका भरोसा है कि नहीं है ? (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- हां, आप पहले यह तय कीजिये कि सी.बी.आई. पर आपका भरोसा है कि नहीं है ? (व्यवधान) आपने पिछले 5 साल क्यों बेन कर दिया था ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस तरह की बात करना चूंकि मैंने बहुत पाइंटेड प्रश्न पूछा है । (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- प्वाइंटेड प्रश्न मेरा भी है। मेरा भी प्वाइंटेड प्रश्न है। केन्द्रीय एजेंसी पर भरोसा है या नहीं है? पिछले 5 साल सी.बी.आई. पर बैन क्यों लगाया? (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप बैठिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- जब जांच कराना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आप डराने टाइप बात मत करिए। (व्यवधान) डरने की बात नहीं है। हम जांच की मांग कर रहे हैं। ये किस तरह से बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत बढिया प्रश्न किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए। आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप विधायकों की समिति बनाइए। आप हमारी तरफ देखकर बात कर रहे हैं, हमारी ओर देखकर बात न करें। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप 5 साल चुप क्यों बैठे थे? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए, यह प्रश्नकाल है। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आपको क्या तकलीफ थी? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपकी ओर देखकर बात करें। हमारी आर देखकर बात न करें। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्वाइंटेड प्रश्न किया, उसका तो उत्तर दिलवा दीजिए कि वे किस तरह से जांच कर रहे हैं। शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं या वृहद स्तर पर जांच कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप राज्य शासन पर भरोसा रखिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप संचालन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रिकेश जी अगर उत्तर दे रहे हैं तो वे बता दें। मैंने तो आपसे निवेदन किया है।

श्री रिकेश सेन :- ये तो सवाल नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी का था, आप क्यों उठ गये? इसलिए मैं भी उठ रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपको बार-बार उठने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैंने अनुमति ली है। इनसे अनुमति लेकर उठा हूं। आप इस तरह से मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री रिकेश सेन :- आप लोगों को तो तय करना पड़ेगा न कि आपको केन्द्रीय एजेंसी पर विश्वास है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको विधान सभा को नहीं चलाना है। आप बैठिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उठा हूं। मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है कि वे जांच किस तरह से कर रहे हैं? क्या वे शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं या कोई वृहद प्वाइंटेड लिस्ट करके अलग-अलग बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कह दिया कि सी.बी.आई. से नहीं, विधायक दल की समिति से नहीं, विभाग के आयुक्त के माध्यम से जांच करायेंगे। जब जवाब पूरा आ चुका है और वे आपको स्पष्ट कह चुके हैं और उसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद यदि आपकी असहमति होगी तो आगे देखेंगे। अभी तो उन्होंने पूरा उत्तर दे दिया है, जो उन्हें देना है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने उत्तर में यह कहा कि शिकायतों के आधार पर जांच हो रही है। मेरा यह कहना है कि आपके संज्ञान में आने के बाद भले ही नेता जी के प्रश्न के बाद में आपके संज्ञान में आया होगा। संज्ञान में आने के बाद आप वृहद रूप में इसे जांच करा रहे हैं या सिर्फ शिकायत आ रही है, उसके आधार पर जांच करा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- बता दीजिए कि वृहद रूप से कर रहे हैं या शिकायत के आधार पर कर रहे हैं?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई विषय आता है, प्रथम दृष्टया तो यह होता है कि जब कहीं से शिकायत आती है और दूसरा यह लगता है कि कहीं पर गड़बड़ी हो, ऐसा महसूस हो सुओ-मोटो के हिसाब से जैसा अपने को लगता है कि इस विभाग में या इस काम में कहीं पर गड़बड़ी हो, उसके हिसाब से जांच शुरू होती है या शिकायतकर्ता किसी विषय पर शिकायत करते हैं। जांच की दो तरह की शुरूआत होती है। जैसा मैंने कहा कि इनके वृहद और सूक्ष्मता से जांच के लिए संभागीय आयुक्त से एक टीम बनाकर जांच करायेंगे। अभी पिछली जो कार्रवाई हुई, जिसमें निलंबन हुआ है, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा टीम बनाया गया था, टीम ने पूरी जांच की है और उस जांच के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है और हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है और इसमें अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे तो उनको बख्शा नहीं जायेगा। पूरी कार्रवाई होगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बोलिए।

श्री दलेश्वर साहू :- मेरा भी इसी भारतमाला से रिलेटेड प्रश्न है और आपकी ही विधान सभा का है। वहां तो भू-अर्जन की बात नहीं है, वहां तो डायवर्सन कर दिया गया है। डायवर्सन करने के बाद लोगों को हमारे सरकारी पैसे को इतना बांटा गया है, मैं सोचता हूं कि हमारे नेता जी ने जो मांग की है, उस पर अमल होना चाहिए। आपकी ही विधान सभा के टेड़ेसरा की बात करता हूं। करोड़ों रूपये डायवर्सन करके पैसा को बांट दिया गया है। सिर्फ पटवारी को सस्पेंड किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता जी की मांग को पूरा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उन्होंने अब जवाब दे दिया।

डॉ. चरणदास महंत :- तो आप चाहते हैं कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट हो जाउं?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सरकार का जवाब आ गया है और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो जवाब से संतुष्ट नहीं हूं और सर, मैं आपसे चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें। आप हमारे यहां पर सबके मालिक हैं। यह आपकी जवाबदारी है कि यहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, एक-दूसरे से तनातनी हो रही है तो उसका निर्णय तो आप करेंगे न। रिकेश बाबू को पता नहीं इसमें क्या तकलीफ है?

श्री रिकेश सेन :- तकलीफ इस बात की है आदरणीय नेता विपक्ष...।

श्री उमेश पटेल :- अनुमति लेकर बात करो, यह प्रश्नकाल है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रक्रिया को मुझसे ज्यादा जानते हैं, इस आसंदी पर आप लगातार पांच साल बैठे हैं । सामान्यत: विधायकों की समिति का गठन शासन की सहमति से ही होता है, आसंदी सीधे निर्णय नहीं लेती, यह आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं और उसके जवाब में भी माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम ये जांच के लिए तैयार हैं । उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, फिर अगर आप चाहेंगे तो फिर दूसरी जांच के लिए आगे बढ़ जाएंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । आपकी कृपा से मैं भी वहां पांच साल बैठ चुका हूं । मगर आप 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचारियों को कहां कहां डाला होगा, कहां जेल में भेजा होगा । मैं उस बात को यहां नहीं कहना चाहता मगर सिर्फ यही चाहता हूं कि यहीं निर्णय हो जाए । यह हमारा मंदिर है, आप राज्यपाल से भाषण दिलवा रहे हो कि यह लोकतंत्र का मंदिर है । उसी लोकतंत्र के मंदिर में मैं घंटी बजा रहा हूं, आरती कर रहा हूं, अगरबत्ती जला रहा हूं । मुझे आप निर्णय दे दीजिए कि विधायकों का दल, विधायकों की समिति इसकी जांच करेगी, यह मैं चाहता हूं । यदि आप भी मुझे निराश करेंगे तो मैं मजबूरी में हाईकोर्ट जाऊंगा और मैं इस प्रश्न के उत्तर से, सत्ता पक्ष के व्यवहार से, मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा । जा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपको कौन रोक सकता है ।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, बाहर चलिए । संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण हम लोग बहिर्गमन करते हैं ।

समय
12.27 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

जिला रायगढ़ अंतर्गत केलो नहर परियोजना के भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

1. (*क्र. 1566)श्री उमेश पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला रायगढ़ के केलो परियोजना कार्य में भू-अर्जन के कितने मामले, किस कारण से लंबित हैं? केलो परियोजना कार्य में भू-अर्जन के कारण कितना विलंब हुआ है? क्या केलो परियोजना से उद्योगों को पानी मिल रहा है ? यदि हाँ, तो किसानों को कब तक पानी मिल जायेगा? परियोजना को पूर्ण करने हेतु राजस्व मामले का निराकरण कब तक पूर्ण करके परियोजना का लाभ किसानों को दिया जायेगा? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जिला रायगढ़ के केलो परियोजना में अनुविभाग रायगढ़ अंतर्गत भू-अर्जन के केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ में 09 प्रकरण एवं केलो परियोजना निर्माण संभाग खरसिया में 13 प्रकरण तथा अनुविभाग घरघोड़ा में 01 प्रकरण जो ग्राम उज्जवलपुर के डूबान प्रभावित रकबा 22.675 हेक्टेयर का माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से अवार्ड पारित किया जाना है। इस प्रकार कुल 23 प्रकरण लंबित है, लंबित होने के कारण प्रपत्र[1] में संलग्न है। केलो परियोजना कार्य में भू-अर्जन प्रकरण समय-सीमा में निराकृत हो रहे हैं। केलो परियोजना से घरघोड़ा अनुविभाग अंतर्गत मेसर्स अंजनी स्टील प्रा.लि. उज्जवलपुर को आद्योगिक प्रयोजन हेतु पानी दिया जा रहा है। केलो परियोजना क्षेत्र में प्रभावित किसानों को वर्ष 2013-14 से ट्रायल-रन के तौर पर खरीफ सिंचाई हेतु पानी दिया जा रहा है। परियोजना को पूर्ण करने हेतु लंबित

[1] परिशिष्ट "एक"

राजस्व मामले का निराकरण समय-सीमा में किया जा रहा है, परियोजना का लाभ किसानों को वर्ष जून 2026 तक दिया जावेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने विधान सभा के इस सत्र और इसके पहले सत्रों में भी देखा है कि मंत्रियों के जवब में विरोधाभास है । कभी वे लिखित में कुछ और उत्तर दे रहे हैं । सदन में मौखिक रूप से कुछ और उत्तर दे रहे हैं । एक विभाग कुछ और उत्तर दे रहा है, दूसरा विभाग कुछ और उत्तर दे रहा है । अध्यक्ष महोदय, आज के मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23 प्रकरण लंबित हैं और ध्यानाकर्षण के उत्तर में 47 प्रकरणों का लंबित होना बताया गया है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जिला रायगढ़ के केलो परियोजना में भू-अर्जन के संबंध में जानकारी चाही गई थी कि कितने मामले किस कारण से लंबित हैं ? मैं बताना चाहूंगा कि इस परियोजना में, केलो परियोजना संरक्षण संभाग रायगढ़ में 9 प्रकरण और निर्माण संभाग खरसिया में 13 प्रकरण, अनुभाग घरघोड़ा में 1 प्रकरण जो ग्राम उज्जवलपुर के डुबान प्रभावित रकबा 22.675 हेक्टेयर इनका प्रकरण ..।

श्री उमेश पटेल :- टोटल कितना हुआ ?

श्री टंकराम वर्मा :- कुल 23 प्रकरण है ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है । इसी सत्र में, कल उत्तर मिला है, ध्यानाकर्षण के जवाब में 47 प्रकरणों का लंबित होना बताया गया और इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे कल ही मिला है । जिसमें 23 प्रकरण का उल्लेख है, जबकि ध्यानाकर्षण में 47 प्रकरण का उल्लेख है । आप मुझे बताने की कृपा करें कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ? क्योंकि मंत्रियों की ओर से लगातार ऐसा हो रहा है, अलग-अलग उत्तर आ रहे हैं । पहले यह बता दीजिए कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विस्तृत रूप से जानकारी आई है, किनका प्रकरण किस कारण से लंबित है, उसमें 23 प्रकरण लंबित है।

श्री उमेश पटेल :- आप कह रहे हैं कि ध्यानाकर्षण में गलत उत्तर दिया गया है ?

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसको एक बार दिखवा लेता हूं, हो सकता है उसमें कुछ छूटे हुए लोगों का नाम आया होगा।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी, आप यहीं बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही है। 47 प्रकरण लंबित है या 23 प्रकरण लंबित है? मुझे ध्यानाकर्षण का उत्तर 09.03.2025 को मिला है।

श्री अजय चंद्राकर :- उमेश जी, चर्चा तो जो प्रश्न लगा है उसी के आधार पर होगी। ध्यानाकर्षण कालातीत है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, उसी के आधार पर हो रहा है। अजय जी, आप प्रश्न नहीं देख पाएं हैं, आप पहले प्रश्न देख लीजिए। उसमें मैंने स्पष्ट पूछा है कि कितने प्रकरण प्रक्रियाधीन है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय अजय जी सरकार जो वास्तविक प्रतिवेदन रिपोर्ट देती है, उसका उल्लेख करते हुए आप खुद प्रश्न कर रहे थे, आप प्रश्न के आधार पर प्रश्न नहीं कर रहे थे। ये सही है या वो सही है। इन्होंने प्रश्न कर दिया तो इसमें गलत क्या है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आखिरी में प्रश्न के आधार पर ही प्रश्न किया था।

श्री भूपेश बघेल :- वह तो आपने दूध भात करके छोड़ दिया था, वह अलग बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हाथ में जो दस्तावेज है, वह माना जाएगा, ध्यानाकर्षण कालातीत है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि कृपया मेरे प्रश्न और उत्तर को एक बार देख लें, इन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि टोटल 23 प्रकरण लंबित है, मेरे पास ध्यानाकर्षण के जरिए जो जानकारी आई है उसमें 47 प्रकरण लंबित है। इसी विधान सभा के मंत्रियों से ही यह उत्तर आया है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ताकि मैं आगे प्रश्न उसी हिसाब से कर सकूं। अगर 23 प्रकरण लंबित है तो 23 के हिसाब से प्रश्न करूंगा, 47 प्रकरण लंबित है तो 47 के हिसाब से प्रश्न करूंगा। ये व्यवहार लगातार है। मंत्री जी लिखित में कुछ और देते हैं, उत्तर कुछ और देते हैं। ये कई बार हो रहा है या तो आप मुझे यह बता दीजिए कि मैं कौन से उत्तर को लेकर आगे का प्रश्न करूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता रहे हैं कि ध्यानाकर्षण में 47 प्रकरण लंबित की जानकारी आई है, हो सकता है कि उसमें कुछ बिन्दु छूटे हों, इसकी कारण से वह संख्या बढ़ी हो। मैं इसकी एक बार जांच करा लेता हूं, अभी हमने जो उत्तर पुस्तिका में 23 प्रकरण दिया है। आप उसके हिसाब से प्रश्न करिए।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आप उसी पर आगे बढ़ें। वही अधिकृत जवाब है।

श्री उमेश पटेल :- जी, ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 23 प्रकरण लंबित है उसकी के आधार पर प्रश्न कर रहा हूं। ये व्यवहार लगातार हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केलो परियोजना आज दिनांक तक कितना प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केलो परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि केलो परियोजना 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जैसे आपने आज दिनांक तक टेंडर किया है, एक संभाग की बात है, खरसिया संभाग है,

उसमें आपने कई टुकड़ों में टेंडर किया होगा, आज दिनांक तक कितने टेंडर हो चुके हैं और कितने टेंडर अभी की स्थिति में निरस्त है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न सिंचाई विभाग से संबंधित है, आप लोगों ने पिछले पांच वर्षों में इसके लिए एक रूपए आवंटित नहीं की। (मेजों की थपथपाहट) हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 291 करोड़ रूपए बजट में दिया है, लगभग 100 करोड़ रूपए अतिरिक्त दिया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सिंचाई विभाग का प्रश्न है तो मैं छोड़ देता हूं। आप अगर आदेशित करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने तो यह मानकर प्रश्न किया था कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व है और उत्तर मिलेगा। अगर आप सिर्फ राजस्व में स्थिर रहने के लिए बोलेंगे तो मैं राजस्व में स्थिर रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप राजस्व मंत्री जी से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं इसी में प्रश्न पूछता हूं। आपने 23 प्रकरणों को छोड़कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, क्या ये प्रकरण जो लेट हुआ है, उसमें केन्द्रांश की राशि नहीं मिलना भी एक कारण था ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केलो परियोजना बहुत पुरानी परियोजना है, यह वर्ष 2008-09 की परियोजना है। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे करीब 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होना है, इसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी पानी देना है। इस परियोजना में जो 23 प्रकरण लंबित है, उनके लंबित होने के अलग-अलग कारण हैं। उनकी भू अर्जन की जो राशि थी, उनसे वह संतुष्ट नहीं हुए और वह लोग हाई कोर्ट गये थे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल सा प्रश्न है कि केन्द्रांश की राशि है या नहीं है ? यदि नहीं है तो आप नहीं है, बोल दीजिए। फिर उस हिसाब से मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भू अर्जन का काम राजस्व विभाग करता है, परंतु उस परियोजना को पूरा करना जल संसाधन विभाग का काम है तो मैं स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं उस जलाशय के बारे में।

श्री उमेश पटेल :- ठीक है, मैं आपसे भू अर्जन से रिलेटेड प्रश्न ही पूछता हूं। क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात आयी थी कि केलो परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई थी, उसको किसी इंडस्ट्री के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया ? क्या आपके संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत आई थी ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस शिकायत के बारे में बता रहे हैं कि इनकी जमीन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दी गई है तो अभी तक हमारे पास इसकी शिकायत नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त, 2024 को खसरा नंबर-5/2, 6/2, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 समेत कुल 22 खसरों की जमीन जोरापाली गांव में केलो परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उसे जिंदल इंडस्ट्रीज के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया। (शेम-शेम की आवाज) यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसमें किसी के ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुई है। हमने कलेक्टर को इसकी शिकायत की कि जोरापाली में इस तरह की घटना हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जिंदल के खिलाफ कब से हो गये ?

श्री उमेश पटेल :- भैया, मैं क्यों नहीं होऊंगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- जिंदल के प्लेन तो खास आपके लिए चलते थे।

श्री उमेश पटेल :- हो गया, आपने बोल लिया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अगस्त, 2024 की बात है। हमने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उमेश पटेल जी जो शिकायत कर रहे हैं कि जलाशय की भूमि जिंदल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर कर दी गई है। आप मुझे इसकी शिकायत दीजिये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में प्रश्न है। यह तो land use change का मामला है, क्योंकि वह जमीन जलाशय के लिए थी और land use change हुआ तो आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसकी अनुमति के बिना यह जमीन ट्रांसफर कैसे हो गई ? आप कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं है। यह इतना बड़ा हेर-फेर कैसे हो गया ? ओ.पी. जी, या तो आप ही उत्तर दे दीजिए। यदि land use change करना है और उसको उद्योग विभाग को देना है तो आपके मंत्रालय में आये बिना और राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसके अनुमोदन के बिना किसी भी भू-खण्ड में land use change नहीं हो सकता है, लेकिन यह हुआ है तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा हुआ है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विभागीय रूप से इसकी जांच कराएंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीधी सी बात है कि अब मंत्री ने जांच कराने की बात कह दी। चूंकि मंत्रिमण्डल के माननीय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनती है तो उसकी जांच कोई अधिकारी नहीं कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस पवित्र सदन की कमेटी से इसकी जांच कराएंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उमेश पटेल जी यह जो शिकायत के बारे में बता रहे हैं, उसकी हम विभागीय रूप से जांच कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और जमीन का मामला है। जमीन में अफरा-तफरी हो रही है। अधिकारी स्तर पर मिली-भगत करके इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो मेरा आपसे इसमें निवेदन है कि आप इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी जांच कोई विभाग का अधिकारी कैसे करेगा ? क्या कोई विभाग का अधिकारी आपकी जांच कर सकता है ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा land scam हो गया और जलाशय की भूमि को उद्योगपति को दे दिया गया और आपको पता तक नहीं है। आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस सदन की कमेटी से उसकी जांच करायें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय बता रहे हैं, यह विषय मेरी जानकारी में ही नहीं आया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यह विषय अभी आया है तो मैं उसका विभागीय रूप से जांच कराऊंगा। यह मेरी जानकारी में, संज्ञान में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। उन्होंने जांच के लिए बोल दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मंत्रिमण्डलीय उप समिति से संबंधित है, उसकी अनुमति बिना लैण्ड यूज चेंज नहीं हो सकता है। मड़वा काण्ड हुआ, मड़वा ताल का काण्ड हुआ, तब मध्यप्रदेश के समय से यह तय हुआ था कि जब भी किसी जमीन का इस प्रकार से लैण्ड यूज चेंज होगा तो मंत्रिमण्डलीय उप समिति से होगा। मैं भी राजस्व मंत्री रहा हूं। इसलिए मुझे मालूम है। चूंकि आप खुद कह रहे हैं, खसरा नं. बता रहे हैं, इसलिए मंत्री जी, आप विधान सभा की समिति से जांच कराने की घोषणा करें ? यह आपकी जानकारी में नहीं है। आपकी कोई संलिप्तता नहीं है। चूंकि यह आपके विभाग में हुआ है, इसलिए सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी वही चीज कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं है, संज्ञान में नहीं है। सदस्य बता रहे हैं कि इस खसरा नं. को ट्रांसफर किया गया है, तो मैं इसकी विभागीय रूप से जांच कराकर कुछ बता पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री नीलकंठ टेकाम जी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसलिए बहिर्गमन कर रहे हैं।

समय

11.42 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री जी के जवाब के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

जिला कोंडागांव की बुनकर सहकारी समिति बाफना में शासकीय राशि का गबन

[सहकारिता]

2. (*क्र. 401)श्री नीलकंठ टेकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बाफना में महिलाओं की बुनकर सहकारी समिति पंजीकृत है? यदि पंजीकृत है तो उसका पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक क्या है? **(ख)** क्या इस समिति को स्कूली बच्चों के स्काउट गाइड ड्रेस प्रदाय करने के लिए शासकीय राशि जारी की गई? यदि हां, तो कब और कितनी राशि जारी की गई है? **(ग)** राशि किस बैंक में जमा की गई और कब-कब राशि आहरित की गई? **(घ)** समिति के द्वारा क्या ड्रेस जमा नहीं किया गया? यदि हां, तो उनके खिलाफ वसूली के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या राशि जमा नहीं करने से उनके खिलाफ गबन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी हां, पंजीकृत है। इसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./केजीएन/20, दिनांक 16.07.2019 है। **(ख)** जी हां, जारी की गई है। दिनांक 08.09.2020 को राशि रू. 20.00 लाख की अग्रिम राशि जारी की गई है। **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर, शाखा कोंडागांव में प्रश्नांकित समिति के खाता क्रमांक-105003025530 में दिनांक 15/09/2020 को राशि जमा हुआ है। समिति द्वारा आहरित राशि दिनांकवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	आहरण दिनांक	आहरित राशि
1	22-09-2020	36,000.00
2	28-10-2020	1,02,189.00
3	10-11-2020	60,000.00
4	19-11-2020	14,09,636.00
5	21-12-2020	3,02,684.00
6	11-01-2021	62,012.00

7	22-02-2021	45,018.00
8	19-08-2021	15,000.00
9	22-11-2021	60,000.00

(घ) समिति को प्रदाय राशि रू. 20.00 लाख के विरूद्ध 4000 सेट गणवेश जमा किया जाना था, जिसके विरूद्ध 1820 जोड़ी शर्ट पैट एवं 1690 जोड़ी कुर्ती पायजामा ही जमा किया गया, शेष ड्रेस जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव द्वारा पत्र क्रमांक/5282 दिनांक 02.06.2023 को, शेष गणवेश जमा नहीं करने पर समिति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही/वसूली की कार्यवाही हेतु समिति को पत्र जारी किया गया है। समिति के द्वारा शेष गणवेश जमा नहीं करने पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक/3217 दिनांक 25/02/2025 के माध्यम से थाना प्रभारी, थाना कोंडागांव को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया है।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय सहकारिता मंत्री जी से संबंधित है। इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी संतोषजनक ढंग से प्राप्त हो चुकी है। इसमें मेरा दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। पहला, यह कि यह योजना सन् 2018-19 में उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था, जो प्रायमरी स्कूल में पढ़ते हैं। कोण्डागांव के 100 प्रायमरी स्कूल, जो बार्डर इलाके के हैं, वहां पर स्काऊट गाइड प्रारंभ करने के लिए उन बच्चों को यूनीफार्म देने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए 20 लाख रूपये डी.एम.एफ. फण्ड से एक महिला समिति को दिया गया था कि वह वर्दी सप्लाई करें। लेकिन अलग-अलग कारणों से, लालफीताशाही से, कई तरीके से इस पैसे का बंदरबांट कर लिया गया। मंत्री जी द्वारा जवाब में बताया गया है कि वसूली के लिए थाना प्रभारी को भी चिट्ठी लिख दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम आज की तारीख में ई-गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामले जिलों में ही संज्ञान में लेकर निराकरण कर दिया जाये तो हमारे माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार के सुशासन का परिणाम आने वाले दिनों में दिख सकता है।

दूसरा, मैं यह चाहता हूं कि इस योजना के साथ उस इलाके के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के बच्चों को एक अनुशासन सीखने को मिलेगा। माननीय मंत्री जी स्वयं स्काउट गाइड से जुड़े हुए हैं तथा देश-विदेश की यात्रा करके स्काउट गाईड के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहां पर राकेश यादव जी बैठे हुए हैं, वे भी स्काउट गाईड के माध्यम से अनुशासन को जानते हैं। तो यह एक बहुत अच्छी योजना थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस राशि का उपयोग आने वाले दिनों में जो प्रायमरी स्कूल के बच्चे हैं, स्काऊट गाईड को उन 100 स्कूलों में प्रारंभ करने के लिए किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी जवाब दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है। जब उन बच्चों को यूनीफार्म देने के लिए प्रावधान किया गया था तो उस समय इनकी सरकार रही। तत्कालीन

समय में आप वहां के जिलाधीश भी हुआ करते थे और यह आपके ही पहल से हुआ था। लेकिन किन्हीं कारणों से यह पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन आज की स्थिति में वहां पर लगभग 4 हजार गणवेश के विरूद्ध लगभग 35-36 सौ गणवेश वितरित किया गया है। लगभग 4 हजार गणवेश के विरूद्ध लगभग 35-36 सौ गणवेश वितरण किया गया है। लगभग 17 लाख 55 हजार रूपये का गणवेश वितरण किया गया है। 2 लाख 45 हजार रूपये का यूनिफार्म सप्लाई नहीं हो पाया है। हम उसके लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि उनको शत् प्रतिशत यूनिफार्म दिया जाये।

प्रश्न संख्या : 03 XX XX

विद्युतीय पारेषण लाईनें और अतिउच्च दाब की संरचना एवं संबंधित उपकेन्द्रों का निर्माण

[ऊर्जा]

4. (*क्र. 1889) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विद्युतीय पारेषण लाईनें और अतिउच्च दाब की संरचना एवं संबंधित उपकेन्द्रों के निर्माण जिसमें ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सी.टी., पी.टी., आईसोलेटर एवं अन्य उपकरण तथा केबल, वायर, मीटर्स, कम्प्यूटर एवं पारेषण से संबंधित सामग्री, सहायिकी सेवाओं टेलीकम्यूनिकेशन एवं टेलीमीटरिंग उपकरणों से संबंधित रूपए 5.00 लाख मूल्य से अधिक की निविदा मूल्य हेतु सामग्रियों की खरीदी हेतु वर्ष 2023-2024 से 2024-2025 की अवधि में किस प्रक्रिया का पालन किया गया है? क्या खरीदी हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हां, तो निविदा में चयनित होने वाले का नाम, पता बतावें? भुगतान विवरण बताएं?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत अति उच्च दाब विद्युत पारेषण लाइनों की संरचना एवं संबंधित उपकेन्द्रों के निर्माण जिसमें ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, सी.टी., पी.टी., आईसोलेटर एवं अन्य उपकरण तथा केबल, वायर, मीटर्स, कम्प्यूटर एवं पारेषण से संबंधित सामग्री, सहायिकी सेवाओं टेलीकम्यूनिकेशन एवं टेलीमीटरिंग उपकरणों से संबंधित रूपए 5.00 लाख मूल्य से अधिक की निविदा मूल्य हेतु वर्ष 2023-2024 से 2024-2025 की अवधि में संचार प्रणाली में लगने वाले कैरीअर केबिनेट व उनके स्पेयर्स के अतिरिक्त उक्त सभी उपकरणों व सामग्रियों की खरीदी हेतु खुली निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है। चूँकि कैरीअर केबिनेट व उनके स्पेयर्स पूर्व से उपयोग किये जा रहे उपकरणों के मूल निर्माता कंपनी से खरीदना तकनीकी कारणों से आवश्यक है, अतः उन्हें निविदा के स्थान पर इंक्वायरी जारी कर सामग्री की खरीदी किया गया है। निविदा में चयनित होने वाले फर्म का नाम पता, भुगतान के विवरण की वर्षवार जानकारी **"पुस्तकालय मे रखे संलग्न प्रपत्र अनुसार"** है।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संचार प्रणाली में लगने वाले कैरिअर केबिनेट व उनके स्पेयर्स के अतिरिक्त सभी उपकरणों व सामग्रियों की खरीदी हेतु खुली निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है। चूंकि कैरिअर केबिनेट व उनकी स्पेयर पूर्व से उपयोग की जा रही उपकरणों के मूल निर्माता कंपनी से खरीदना तकनीकी कारणों से आवश्यक है, जिसे निवेदा के स्थान पर इंक्वायरी जारी कर सामग्री की खरीदी की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 5.00 लाख मूल्य से अधिक की निविदा किस स्तर के अधिकारी के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है तथा क्या इन सभी निविदाओं में नियम-प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसका विस्तार से जवाब दिया गया है। इसमें एक तो कैरिअर केबिनेट की खरीदी उसी कंपनी से होता है, जिस कंपनी का ऊर्जा लगा रहता है और सी.टी., पी.टी., ट्रांसफार्मर को बी.एच.ई.एल. से खरीदते हैं। चूंकि यह भारत सरकार का उपक्रम है। माननीय सदस्य ने 5.00 लाख मूल्य से ऊपर सामग्री क्रय के विषय में पूछा है। इसमें विभाग की तरफ से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें सामग्री क्रय के लिए जो अधिकारी होते हैं, उसमें प्रति आदेश राशि 20 हजार रूपये तक की खरीदी के लिए कार्यपालन अभियंता सक्षम होते हैं। अधीक्षण अभियंता 50 हजार तक की राशि की खरीदी के लिए, मुख्य अभियंता या कार्यपालक निदेशक 3 लाख की खरीदी के लिए, मुख्य अभियंता, भण्डार एवं क्रय 10 लाख तक की खरीदी के लिए, मुख्य अभियंता, भण्डार एवं क्रय सिविल कार्यपालन निदेशक, जी.एम. वित्त के सलाह के साथ 50 लाख तक की खरीदी और प्रबंध निदेशक डायरेक्टर फाइनेंस की सहमति के साथ 2 करोड़, चेयरमेन, एम.डी. व डायरेक्टर, फाइनेंस की सहमति के साथ 2 करोड़ से अधिक निविदा में न्यूनतम दर के आधार पर सक्षम हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह लोग निविदा में न्यूनतम के अलावा एकल निविदा में 2 करोड़ से अधिक की सामग्री खरीदी के लिए यह लोग सक्षम हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि इंक्वायरी जारी कर सामग्री की खरीदी किया जाता है। क्या भण्डार क्रय नियम इसकी अनुमति देता है? क्या इस उपकरण के खरीदी के लिए एकल निविदा नहीं किया जाना चाहिए? क्या इन सभी उपकरणों एवं पार्ट्स को केवल उनके मूल कंपनी द्वारा लिया जाना है? उनके पास प्रो-प्रॉयरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब दिया है कि जो सी.टी., पी.टी. है उसको बी.एच.ई.एल. से खरीदते हैं और कैरिअर केबिनेट को उसी कंपनी से खरीदते हैं, जिससे उसका ऊर्जा लगा रहता है। बाकी को खुली निविदा से खरीदते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि मूल कंपनी से ही खरीदते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका साफ जवाब आ गया है।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ कि भण्डार क्रय अधिनियम अनुमति देता है ? अध्यक्ष महोदय, यस या नो में उत्तर चाहिये । अध्यक्ष महोदय, एकल निविदा नहीं की जानी चाहिये, यह सीधा-सीधा प्रश्न है । दूसरा, उसी कंपनी का हमको खरीदना है तो प्रि-सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही तो चाह रहा हूँ ।

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली कंपनियों पर शासन के भण्डार क्रय अधिनियम लागू नहीं होते हैं, उनके अपने नियम कायदे होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । अब आप अगला प्रश्न करें । यह प्रश्न नहीं, आप आगे बढ़ जाईये ।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का संज्ञान है, इस नियम की अवहेलना हुई है, न केवल निविदा की गई है, न केवल प्रि-सर्टिफिकेट लिया गया है, भण्डार क्रय अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, इसमें सीधे क्रय कर लिया गया है, जो कि गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है । अध्यक्ष महोदय, इसमें अनिवार्य रूप से जांच होनी चाहिये । जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हों, मैं आपको तकनीकी दृष्टि से कह रहा हूँ तो इसकी जांच होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट आ गया है कि भण्डार क्रय अधिनियम का पालन करना आवश्यक नहीं है, इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या बोलेंगे?

श्री विष्णु देव साय :- अध्यक्ष महोदय, हमने जवाब दे दिया है कि शासन का भण्डार क्रय अधिनियम लागू नहीं होता है । यह जवाब दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- अब कोई और शंका हो तो और करा लो ?

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, प्रि-प्रायरटी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक नहीं है, यह भी बता दीजिएगा, यह भी कह दो तो हम मान जायेंगे ? यह सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं है, बता दीजिएगा? जब आप उसी कंपनी से खरीद रहे हो तो सर्टिफिकेट होना चाहिये ।

श्री विष्णु देव साय :- अध्यक्ष महोदय, विभाग उसकी गुणवत्ता पर बिल्कुल जानकारी रखता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 5, ईश्वर साहू ।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हेतु अंशदान राशि

[स्कूल शिक्षा]

5. (*क्र. 1263)श्री ईश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सत्र 2020 से 2023 तक स्कूलों से भारत स्काउट्स एवं गाईड्स हेतु अंशदान राशि की जानकारी बताने की कृपा करें ? **(ख)** भारत स्काउट्स एवं गाइड्स में अधिकारी/कर्मचारी की भर्ती की नियमावली

क्या है ? **(ग)** भारत स्काउट्स एवं गाईड्स का कार्यालय छत्तीसगढ़ में कितने और कहां-कहां है, बताने की कृपा करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) प्रश्नांश अवधि में स्कूलों से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हेतु अंशदान राशि की जानकारी इस प्रकार है।

क्र.	सत्र	राज्य में प्राप्त अंशदान राशि
1	2020-21	11,57,974.00 (शब्दों में- ग्यारह लाख संतावन हजार नौ सौ चौहत्तर रू. मात्र)
2	2021-22	9,20,004.00 (शब्दों में नौ लाख बीस हजार चार रू. मात्र)
3	2022-23	92.57,942.00 (शब्दों में ब्यानबे लाख संतावन हजार नौ सौ व्यालिस रू. मात्र)

(ख) छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर अधिसूचना कमांक एफ 4-51/20-2/2008 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 नबम्बर 2010 के द्वारा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सेवा नियम 2008 बनाया गया हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स सेवा भर्ती नियम **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग)** भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग. का राज्य मुख्यालय रायपुर में संचालित हो रहा है। राज्य मुख्यालय रायपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 33 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ का कार्यालय संचालित हो रहा है।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से है, 17/2020 से 2023 तक स्कूलों से भारत स्काऊट एवं गाईड हेतु अंशदान राशि की जानकारी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विष्णुदेव साय :- एक बार और बतायेंगे ? ईश्वर जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है । माननीय सदस्य का यह पहला प्रश्न है क्या ?

श्री ईश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 17/2020 से वर्ष 2023 तक स्कूलों से भारत स्काऊट एवं गाईड हेतु अंशदान राशि की जानकारी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बालचर निधि के विषय में पूछा है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020-2021 एवं वर्ष 2021-2022 में 13 लाख 57 हजार 650 रूपया, वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 में 13 लाख 55 हजार 650 रूपया, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-2024 में 13 लाख 56 हजार 650 रूपया, यह निधि संग्रह हुआ है ।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत स्काऊट गाईड में अधिकारी-कर्मचारी के भर्ती की नियमावली क्या है ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में भारत स्काऊट गाईड में 40 पद हैं, जो कि सभी संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं और काम चल रहा है ।

श्री ईश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, भारत स्काऊट गाईड का कार्यालय छत्तीसगढ़ में कितने और कहां-कहां है, उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विष्णु देव साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत स्काऊट गाईड का आफिस यहां प्रदेश में एक होता है और हर जिले में होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री जनक ध्रुव । प्रश्न क्रमांक 6 ।

जिला गरियाबंद अंतर्गत घोषित राजस्व ग्राम तंवरबहरा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

6. (*क्र. 746)श्री जनक ध्रुव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या जिला गरियाबंद के ग्राम नहरगाँव, प.ह.नं.26 का पारा{मोहल्ला} तंवरबहरा को नहरगाँव से अपवर्जित कर पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया था। यदि हां तो कब तथा उक्त का प्रकाशन राजपत्र में कब किया गया ? क्या उक्त का शासकीय रिकार्ड दुरुस्त नहीं होने से तथा ऑनलाइन नक्शा खसरा बी1 किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है? यदि हां, तो राजस्व ग्राम तंवरबहरा पूर्ण राजस्व ग्राम के रूप में कब तक अस्तित्व में आ जाएगी तथा कब तक समस्त राजस्व अभिलेख रिकार्ड दुरुस्त कर लिए जाएंगे? जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जी हॉ। तहसील गरियाबंद अंतर्गत ग्राम नहरगांव पं.ह.नं. 12 का पारा(मोहल्ला) तांवरबाहरा को नहरगांव से अपवर्जित कर पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। जो वर्तमान पटवारी हल्का नं. 11 में है। कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा रायपुर के आदेश क्रमांक 915/स.अ.भू.-3/2008 रायपुर, दिनांक 24.05.2008 के अनुसार तहसील गरियाबंद के ग्राम नहरगांव का पारा (मोहल्ला) तांवरबाहरा को नवरगांव से अपवर्जित करके पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया है तथा उक्त का प्रकाशन राजपत्र में क्रमांक 23 रायपुर, शुक्रवार दिनांक 06 जून 2008 को किया गया। तहसील गरियाबंद अंतर्गत् ग्राम तांवरबाहरा को नहरगांव से अपवर्जित कर पृथक राजस्व ग्राम घोषित किये जाने पश्चात भी ग्राम नहरगांव के नाम से ऑनलाईन नक्शा खसरा बी1 किसानों को उपलब्धहो रहा है। जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। ग्राम तांवरबाहरा को ऑनलाईन भू नक्शा एवं भुईयां में प्रदर्शित करने हेतु प्रक्रिया जारी है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख

शाखा जिला गरियाबंद द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख के नेतृत्व में 12 सदस्य टीम गठित किया गया है जिनके द्वारा वर्तमान में नहरगांव एवं तांवरबाहरा का पृथक-पृथक नक्शा ट्रेसिंग कर लिया गया है एवं दोनों ग्रामों का रिनंबरिंग सूची तैयार कर ली गई है। दोनो ग्रामों का सर्वे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत तंवरबाहरा का राजस्व ग्राम घोषित करने से संबंधित मामला है । माननीय मंत्री जी का जवाब आ चुका है, मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ । चूँकि अविभाजित गरियाबंद के अंतर्गत नहरगांव पंचायत है, उस नहरगांव पंचायत में आज भी तंवरबाहरा के नाम से नक्शा-खसरा निकाला जा रहा है, जबकि पिछले 15 सालों से तंवरबाहरा जो मोहल्ला था, वह अलग ग्राम पंचायत हो चुका है और आज भी नहरगांव पंचायत पर निर्भर है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 में राजपत्र में घोषित होने के बाद भी भुईयां पोर्टल में किसानों को तंवरबहरा का नक्शा आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रिनंबरिंग का काम कब तक कर लिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय :- राजस्व वाले रिकार्ड कब तक दुरूस्त कर लिए जाएंगे, आपका प्रश्न यही है ।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरियाबंद जिला के नहरगॉव का एक पारा (मोहल्ला) तंवरबहरा अलग राजस्व ग्राम बना है । माननीय सदस्य का यह कहना है कि अभी भी भुईयां पोर्टल में पुराने ग्राम के नाम से ही जानकारी आ रही है । इसमें काम चल रहा है । यहां का काम लगभग पूर्णता की ओर है । नक्शा ट्रेसिंग का काम हो गया है, रिनंबरिंग की भी सूची तैयार कर ली गई है । सर्वे का कार्य अंतिम चरण में है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्व के सारे रिकार्ड तंवरबहरा गांव के नाम से 6 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगा ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 2008 का मामला है और इसमें मैं समझता हूं कि प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसके कारण मैनपुर विकासखण्ड के अंतर्गत 2017-18 में राजपत्र में वन ग्राम से राजस्व ग्राम घोषित होने के बाद भी आजतक ताराझार, मटाल, रक्शा पथरा, सुकलाभांठा, मोतीपानी कई गांव ऐसे हैं, जो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील होने के बाद भी आज पर्यन्त तक रिनंबरिंग नहीं हो पा रहा है । इस संबंध में भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसका कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद राजस्व विभाग में बहुत सी नई तकनीकी का उपयोग किए गए हैं, चाहे जीरों रिफ्रेसिंग की बात करें, चाहे डोन सर्वे की बात करें । बटांकन और सीमांकन में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं । यह 2008 का मामला है, हम माननीय सदस्य को विधान सभा में आश्वासन दे रहे हैं कि इतना पुराना मामला है, हम इसमें तेज गति से काम कर रहे हैं और जो पुराने प्रकरण हैं, उनको हम 6 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे ।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

7. (*क्र. 1839) डॉ. चरण दास महंत : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2024 में कितने मानक बोरे पत्ते संग्रहित हुए थे ? निविदाकर्ताओं, संग्राहकों की संख्या सहित वनमंडलवार पृथक-पृथक बताएं ? संग्राहकों को किस दर से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष कितना और क्यों है ? **(ख)** निविदा पद्धति से विक्रय किये गए तेन्दूपत्ता से आय की राशि वनमंडलवार कितनी-कितनी है ? **(ग)** क्या 4500 रूपये तक की दर से बोनस देने का भी वादा किया गया था? यदि हां तो किस दर से कितना-कितना बोनस दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया है तो कब तक और किस दर से दिया जाएगा? क्या इसके लिए केंद्र या राज्य के बजट में प्रावधान किया गया है ?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ'[2]में दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-'ब'में दर्शित है। (ग) वर्ष 2024 सीजन का तेन्दूपत्ता पूर्ण विक्रय किया जा चुका है परंतु क्रेताओं से विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रोत्साहन पारिश्रमिक की गणना वर्तमान में संभव नहीं है, इस कारण प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का कार्य नही किया गया है। लॉटों की समस्त विक्रय मूल्य की राशि प्राप्त होने के उपरांत प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के लिये केन्द्र या राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घोषणा-पत्र जारी किया गया था, उसके बिन्दु क्रमांक 5 में यह उल्लेख है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक 5500 रूपए प्रति बोरा मानक के अलावा भी 4500 रूपए तक के बोनस दिया जाएगा और इसी के संदर्भ में मैंने प्रश्न किया था । चूंकि 4500 प्रति मानक बोरा बोनस राशि देने की बात न तो पिछले बजट में आया है, न इस बजट में आया है । माननीय मंत्री जी बता दें कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पहले इंजन में होने के बावजूद भी दूसरे इंजन वाला उनके आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की गारंटी में बहुत सारी योजना चल रही है और मोदी जी की गारंटी में तेंदूपत्ता संग्राहकों का जो पारिश्रमिक 5500 रूपए था, उसको हमने लागू किया है । (मेजों की थपथपाहट) नेता जी, आप अपने बाजू वाले सदस्य से कभी पूछिएगा, जिन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को, वनवासियों को, आदिवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने से किस तरीके से उनको रोका जा

[2] परिशिष्ट "दो"

रहा था, किस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि कहीं न कहीं तेंदूपत्ता का पूरा काम ठप्प हो जाएगा ।

डॉ. चरण दास महंत :- देखिए, प्रश्नकाल का समय निकल रहा है । आप मुझे भूलाने की कोशिश मत करिए ।

श्री केदार कश्यप :- हमारी सरकार आई है तो अब हम चरण पादुका योजना भी शुरू करेंगे ।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं जो पूछ रहा हूं, उसके बारे में बताईए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोरोना कॉल में भी तेंदूपत्ता तोड़वाया है ।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा कि आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4500 रूपए बोनस देने की बात की गई थी, उसको आप समझे हैं या नहीं समझे हैं ? आप प्रोत्साहन पारिश्रमिक की बात कर रहे हैं । उन्होंने बोनस की बात की है, आप उसे समझ लीजिए और मुझे बताईए कि प्रश्न गलत है या सही है?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय:

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 27 दिसंबर, 2024

मुख्यमंत्री (श्री वि□ष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 27 दिसंबर, 2024 पटल पर रखता हूं।

सदन को सूचना

होली मिलन समारोह का आयोयजन

अध्यक्ष महोदय :- आज बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.30 बजे से छत्तीसगढ़ वि□धान सभा सचिवालय परिसर स्थित सेन्ट्रल हॉल के सम्मुख स्थित लॉन में वि□धायक क्लब एवं संस्कृति वि□भाग के सौजन्य से होली मिलन समारोह आयोजित है, जिसमें माननीय सदस्यगण के साथ श्री राकेश तिवारी एवं साथियों द्वारा फाग गीत तथा पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे द्वारा हास्य कवि□ता पाठ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा। आप सभी माननीय सदस्यों, पत्रकार तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से उक्त होली मिलन समारोह में उपस्थिति के लिए सादर आमंत्रण है।

आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल वि□कास मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में, पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुवि□धानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जब होली खेलना ही है, तो उसे ध्यानाकर्षण के बाद से ही शुरू कर दें, क्योंकि सबका मूड़ तो वैसे ही हो जाएगा, सब सदस्य तैयारी कर लिए हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज यह ध्यानाकर्षण पूरा करते ही कर दीजिए। बचत के लिए तो आपका निर्देश रहता है, हम लोग काम तो करते ही रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय:- नहीं, अपराह्न 2.30 बजे तक भोजन करके फिर आराम से जायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अपराह्न 2.30 बजे क्यों?

अध्यक्ष महोदय:- भोजन हो जाए, उसके बाद फिर धीरे-धीरे लोग तैयार हो जायेंगे।

समय:

12.02 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली की जाना

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :

राज्य कर विभाग के अधिकारियों के द्वारा ई-वे बिल जांच के नाम पर राज्य भर में अवैध वसूली की शिकायतें एवं समाचार पत्रों से खबरें लगातार प्राप्त हो रही हैं। बिल/ई-वे बिल न होने के कारण वाहनों को रोका तो जाता है, लेकिन कार्यवाही न करते हुये लेनदेन करके वाहनों को छोड़ दिये जाने की भी शिकायतें विधान सभा क्षेत्र धरसींवा एवं आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। ज्ञात हो कि विभाग द्वारा चुनिंदा अधिकारियों/कर्मचारियों की एक ही क्षेत्र में लगातार ड्यूटी लगाई जाती रही है, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा स्वयं के नियम बनाकर व्यवसायीगण से ई-वे बिल के नाम से वसूली की जाती है। राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की अवैध वसूली से राज्य को आर्थिक क्षति होने एवं बेवजह व्यवसाईयों को वसूली के नाम से परेशान करने से जनता और व्यवसायीगण में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यिक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा ई-वे बिल जांच के नाम पर राज्य भर में अवैध वसूली की लगातार शिकायतें आ रही हैं। विभाग को अवैध वसूली की कोई शिकायत किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं मिली है। बल्कि यह सही है कि वाहनों की जांच एप के माध्यकम से की जाती है, जिसमें वाहनों को बिना रोके वाहनों के नंबर डालते ही परिवहित माल की संपूर्ण जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को मिल जाती है। बिल, ई-वे बिल एवं वैध दस्तावेज नहीं पाये जाने पर वाहनों की जांच की जाती है और आवश्यक कार्यवाही कर शास्ति वसूल की जाती है। जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा बिना ई-वे बिल, बिल नहीं पाये जाने पर वाहन रोकने के तुरन्त पश्चात् विभाग के वरिष्ठा अधिकारियों को WhatsApp group के माध्यहम से वीडियो अपलोड करके सूचित करने का प्रावधान है, जिसमें जांचकर्ता अधिकारी का नाम, वाहन क्रमांक, परिवहित माल का नाम, मात्रा, मूल्य, वाहन में पाये गये, नहीं पाये गये बिल, बिल्टी, चालान, ई-वे बिल का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाता है। इसकी सतत् निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। किसी भी अधिकारी द्वारा लेनदेन करके वाहनों को नहीं छोड़ा गया है। बल्कि पूरे राज्य में 01 अप्रैल 2024 से 28 फरवरी 2025 तक कुल 57816 वाहनों की जांच की गई। ई-वे बिल में अनियमितता एवं बिना बिल के 2077 वाहनों पर 31 करोड़ 17 लाख 64 हजार रुपए की शास्ति वसूल की गई है। जहां तक विधानसभा क्षेत्र धरसींवा एवं आस-पास के ओद्यौगिक क्षेत्रों में शिकायत की बात

है, विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए इस क्षेत्र में 319 वाहनों को बिना बिल, बिना ई-वे बिल के पकड़ा गया और इनसे 5 करोड़ 26 लाख रूपये की शास्ति वसूल की गई है।

यह कहना सही नहीं है कि विभाग द्वारा चुनिंदा अधिकारियों/कर्मचारियों को एक ही क्षेत्र में लगातार ड्यूटी लगाई जाती रही है, जिसके कारण अधिकारियों द्वारा स्वयं के नियम बनाकर व्यवसायियों से ई-वे बिल के नाम से वसूली की जाती है। विभाग द्वारा रायपुर जिले के लिए 4 टीम और 16 अन्य अधिकारियों को ई-वे बिल जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी अधिकारियों द्वारा जांच की कार्यवाही की गई है। धरसींवा एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में 319 वाहनों का बिल और ई-वे बिल नहीं पाये जाने से पकड़ा गया। पूरे प्रदेश में ई-वे बिल जांच के लिए 15 टीम का गठन किया गया है, इसके अलावा 63 अधिकारियों को ई-वे बिल जांच हेतु आदेश दिये गये है। सभी अधिकारियों द्वारा ई-वे बिला जांच कार्य एप के माध्यम से वाहनों को बिना रोके भी की जाती है। जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उसी वाहन को रोका जाता है जिसमें ई-वे बिल नहीं होना अथवा अनियमितता पायी जाती है और जी.एस.टी. प्रणाली के तहत् शास्ति की कार्यवाही की जाती है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा वाहनों की जांच एप के माध्यम से की जाती है एवं वाहनों के नंबर डालते ही परिवहित माल की संपूर्ण जानकारी जांचकर्ता अधिकारी को मिल जाती है तथा जांच की कार्यवाही तत्काल विभागीय साफ्टवेयर में दर्ज हो जाती है। उपरोक्तानुसार अवैध तरीके से वाहनों के रोके जाने और अवैध वसूली का आरोप तथ्यहीन और निराधार है।

विभाग द्वारा कर अपवंचन करने वाले वाहनों पर वैधानिक रूप से कार्यवाही की जाती है, अनावश्यक रूप से किसी वाहन को रोककर परेशान नहीं किया जाता है। अब तक विभाग द्वारा 2077 वाहनों को बिना बिल, बना ई-वे बिल के पाये जाने पर 31 करोड़ 17 लाख 64 हजार रूपये की शास्ति वसूल की गयी है, इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा कर अपवंचन करने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ई-वे बिल जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अतः यह कहना सही नहीं है कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार की अवैध वसूली से राज्य को आर्थिक क्षति होने एवं बेवजह व्यवसाइसों को वसूली के नाम से परेशान करने से जनता और व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि अधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। क्या आपको अवैध वसूली के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, अवैध वसूली की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है बल्कि हमने पिछले सवा सालों में Ease of doing business के बहुत सारे स्टेप उठाये हैं, जिससे

लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे विभाग के संज्ञान में लाया जा सके। EODB के तहत सबसे पहला काम विभाग के कार्यालय में EODB सेल का गठन किया गया है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण है। मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिये। कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 200 कॉल प्राप्त हो रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 13 दिनों का होता था, उसको 3 दिनों का कर दिया गया है। अभी ग्रीवान्स रेड्रेसल कमेटी, जिसकी सालों तक बैठक नहीं हो पायी थी, जिसमें केंद्र सरकार के भी लोग आते हैं। उस ग्रीवान्स रेड्रेसल कमेटी की भी मीटिंग लगातार की जा रही है। स्टेक होल्डर्स की भी लगातार मीटिंग की जा रही है। स्टेक होल्डर के रूप में चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों को, सी.ए. के डिफरेंट रिजनल चेप्टर्स को और जो एडवोकेट्स हैं, हम उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं और हमने EODB के इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स उठाये हैं, जिनमें इन सारे फोरम में किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जब किसी गाड़ी पर कार्रवाई होती है तो उन्होंने जहां से माल लिफ्ट किया है, क्या इसमें ऐसी फैक्ट्रियों पर या ऐसी जगहों पर कोई कार्रवाई का प्रावधान है ? उन्होंने गाड़ी पर तो कार्रवाई कर दी लेकिन जिन्होंने बिना ई-वे बिल के सामान भेजा है, उन पर क्या कार्रवाई की जाती है ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जो ई-वे बिल का सिस्टम है, उसमें मोबाईल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कोई भी दो मिनट के अंदर ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। जैसे वह किसी टोल नाका से भी क्रॉस करता है तो वहां पर भी स्केन होकर ट्रेस हो जाता है इसलिए जहां पर टोल है, वहां पर वाहनों को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सम्माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जहां से वह जनरेट हुआ है या जहां से वह माल उठाया गया है, उस पर क्या कार्रवाई होती है। यह बेसिकली आज कल भारत सरकार का BIFA साफ्टवेयर बहुत ही अपग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर में होती है और जब उसमें कोई भी चीज गलत होती है तो उसमें रिस्क प्वाईंट आते रहते हैं और उस रिस्क प्वाईंट के आधार पर उस पर कार्रवाई होती है। ई-वे बिल में जो भी एंट्री होती है, उसके आधार पर रेड फ्लैग जनरेट होता है तो उस रेड फ्लैग के आधार पर सोर्स तक पहुंचकर कार्रवाई की जाती है। हमारा पूरा फोकस रहा है कि एक तरफ Ease of doing business किया जाये, व्यापारियों पर compliance बर्डन को कम किया जाये। हमारे इस तरह के प्रयास रहे हैं। जैसे हम जो बजट अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं, हमने इसी बजट में वन सिंगल टाईम में 62,000 प्रकरणों को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे 40,000 व्यापारी साथियों को लाभ मिल रहा है। जो 10 साल पुराने केस हैं और 25,000 रूपये से कम की राशि के केस हैं, उनको समाप्त करने का निर्णय लिया

गया है। इसी तरह से ई-वे बिल में छोटे व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट न करना पड़े । इस प्वाईंट ऑफ व्यूह से हमने भारत सरकार से चर्चा करके, 50 हजार की जो ई-वे बिल की लिमिट थी उसको बढ़ाकर, 1 लाख रूपये कर दिया है, जिससे अब 26 प्रतिशत व्यापारियों को ई-वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा, जिससे 54 प्रतिशत ई-वे बिल कम हो जाएंगी। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें ई-वे बिल के आधार पर सोर्स को रिफ्लेक्ट करके, निश्चित रूप से जब सॉफ्टवेयर पर रेड एलर्ट आता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे कितने कारखानों या संस्थानों पर कार्यवाही की गई जहां से बिना ई-वे बिल के माल सप्लाई की गई थी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो एक्ट कहता है, एक्ट के हिसाब से ई-वे बिल के बिना कोई सामान को कैरी(Carry) कर रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं उन अध्ययनों के आधार पर BIFA सॉफ्टवेयर के रेड एलर्ट के आधार पर रेड करने की कार्यवाही होती है। इसमें बहुत सीमित केस में डेटा इनेक्टीक्स रिफलेक्ट करता है, उसमें हम करते हैं क्योंकि Unnecessary टैक्स टेरर क्रियेट करना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़कर किया जाता है। जहां तक Responsibility का सवाल है, जो यह एक्ट कहता है। यह एक्ट, जी.एस.टी. कौंसिल के द्वारा सारे नियम कानून Decide किये जाते हैं, जिसमें वनथर्ड ...।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें पर्याप्त उत्तर आ गया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें स्पष्ट बात करना चाह रहा हूँ। जहां से यह समस्या शुरू होती है उन पर जिस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए तो उसके लिए जरूर प्रयास होना चाहिए। माननीय मंत्री जी की तरफ से इसमें जो उत्तर आया है कि इस क्षेत्र में 319 गाड़ियों पर कार्यवाही हुई, लेकिन मैंने यह प्रश्न पूछा कि वहां कितने संस्थानों पर कार्यवाही हुई ? मुझे इस प्रश्न का जवाब नहीं आया

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक्ट कहता है अगर कोई ई-वे बिल के बिना ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसी की Responsibility है, जो ई-वे बिल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जहां तक रेड का सवाल है तो बिफा (BIFA) सॉफ्टवेयर के आधार पर हम लोग करते हैं। उसमें भी यह कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पर जो भी Decipicancy है तो पहले डीलर को बुलाकर, यह बताया जाता है कि आपकी यहां Decipicancy है, आप इसके आधार पर टैक्स जमा कर दीजिए। जो एग्री नहीं करते, ढीठ ही रहते हैं, उन पर यह कार्यवाही की जाती है। मैं, सम्माननीय सदस्य को पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। इसमें लगभग सीमित संख्या में 100 के करीब रेड किये गये हैं।

(2) धमतरी जिले में अवैध प्लॉटिंग किया जाना।

श्री ओंकार साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

आवासीय कॉलोनी हेतु बिना डायवर्सन के कृषि भूमि पर आवागमन मार्ग छोड़कर बार-बार टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार का विक्रय अवैध प्लाटिंग अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है उक्त प्रकार की भूमि का अवैध प्लाटिंग अवैध कॉलोनी निर्माण अंतर्गत होने से भूमि विक्रय पंजीयन एवं नामांतरण पर रोक संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाना चाहिए, किन्तु धमतरी जिले में जिला प्रशासनिक कार्यालय के आसपास लगातार खेती जमीन हरी घास जमीनों को टुकड़ों टुकड़ों में बेचा जा रहा है, जिसमें वर्तमान में सैकड़ों मकान बनकर तैयार हो चुके हैं यह पूर्ण रूप से बिना डायवर्सन के आवासीय मकान बना दिए गए हैं, एक खेत को टुकड़ों टुकड़ों में बेचने पर शासन द्वारा यह जानकारी नहीं लिया जाता है कि उक्त जमीन को अलग-अलग व्यक्तियों को टुकड़ों में बेचा क्यों बेचा जा रहा है जिसके कारण लगातार अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा अपने चरम सीमा पर है, प्रशासन द्वारा नाम मात्र की कार्यवाही करने के कारण शासन प्रशासन के विरूद्ध आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. नगर पालिका निगम (कोलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते) नियम-2013 के अंतर्गत नगरीय निकाय सीमा के भीतर कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण तथा कॉलोनी विकास की अनुज्ञा बिना निर्मित कॉलोनियां अवैध कॉलोनी के श्रेणी में आता है। इसी तरह छ.ग. ग्राम पंचायत कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वधन तथा शर्ते) नियम-1999 के परिभाषा में "कॉलोनाईजेशन" से अभिप्रेत है" ऐसा कार्य जो कॉलोनी की स्थापना करने के उद्देश्य से पंजीकृत कॉलोनाईजर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, तथा भूमि का विभाजन करते हुए किसी भूमि जिसमें कृषि भूमि सम्मिलित है, को उक्त प्रयोजन के लिए विकसित करता हो, ताकि ऐसा भूखण्ड ऐसे व्यक्तियों जो उस भूखण्ड पर आवासीय या गैर आवासीय भवनों का सन्ननिर्माण करना चाहते हो, को विक्रय किया जा सके उल्लेखित है। अत: उक्त नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण तथा कॉलोनी विकास की अनुज्ञा लिए बिना निर्मित कॉलोनियां अवैध कालोनी की श्रेणी में आती हैं। छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत बिना व्यपवर्तन कराये कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने के संबंध में कार्यवाही के प्रावधान है। अवैध विकास एवं प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर शासन द्वारा उपरोक्त नियमानुसार लगातार कार्यवाही की जा रही है।

जिला धमतरी में नगरीय निकाय के बाहर एवं निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्रामों में राजस्व विभाग एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की संयुक्त दल द्वारा विगत 5 वर्षों मे छ.ग. नगर तथा

ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 एवं 37 के अंतर्गत कुल 81 अवैध प्लाटिंग के विकासकर्ताओं के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है तथा कुल 24 प्रकरणों में अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्यवाही की गई है।

यह कहना सही नहीं है कि बिना डायवर्सन किये कृषि भूमि पर आवासीय मकान बनाये जाने की जानकारी शासन को प्राप्त होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह कहना भी सही नहीं है कि अवैध प्लाटिंग का गोरखधंधा अपने चरम सीमा पर है। शासन द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग एवं अवैध विकास में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही से आम जनता में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है जिससे आम जनता मे आक्रोश की स्थिति नहीं है।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि धमतरी शहर में और साथ ही साथ जिला में अवैध प्लाटिंग हुई है। आप 5 साल का डाटा दिखा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप अपने एक साल के कार्यकाल का बताईये कि कितनी कार्रवाई किये हैं और किस प्रकार से कार्रवाई किये हैं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार आई है तब से हम अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में अवैध प्लाटिंग बहुत ज्यादा संख्या में थी। अभी अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए सरकार काम कर रही है, हमारा विभाग काम रहा है। यह जो अवैध प्लाटिंग में संलिप्त लोग हैं, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। मैंने संख्या पूछी है कि आप कितने के ऊपर कार्रवाई किये हैं ? आप यह संख्या बताईये। पिछली सरकार में क्या हुआ, वर्तमान में आप धमतरी जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, आपके प्रभार वाले जिला में इस प्रकार से अवैध प्लाटिंग हो रही है, अवैध कालोनी बन रही हैं, आप यह बताईये कि इसमें आप अभी 14 महीने के कार्यकाल में क्या कार्रवाई किये हैं ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धमतरी जिले में जो अवैध कालोनियां बना रहे हैं, 24 प्रकरणों पर कार्रवाई हुई है।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह जो 24 प्रकरण बताये हैं, वह एक साल के हैं?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें जो जानकारियां मिली हैं, उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। यदि माननीय विधायक महोदय को लगता है कि कुछ और कालोनियां जो डेव्हलप कर रहे हैं जिनकी शिकायत उनके पास है, यदि वह दें तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, क्या आप जांच समिति गठित कर जांच करायेंगे? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि विधायक दल से जांच कराईये। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, उनके आसपास आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप उस जिले के प्रभारी मंत्री हैं। आपने जब कलेक्टर कार्यालय में समीक्षा बैठक ली थी, आपके द्वारा विभाग का आपने डाटा मंगाया था, उसमें स्पष्ट किया गया था, आपने जितने भी डाटा मंगाया था, वह सब आपके विभाग का आपको जानकारी है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि आप हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और साथ ही साथ विभाग के मंत्री हैं और आप जो एक साल की कार्रवाई है उसको भी नहीं बता पा रहे हैं । चूंकि आप ही यह जवाब दे रहे हैं कि यह 5 साल का आपका प्रकरण है लेकिन अभी आप यह बता नहीं पा रहे हैं कि 14 महीने में आपके कितने प्रकरण हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि धमतरी में बहुत ही ज्यादा गोरखधंधा चल रहा है, यह सदन में पूर्व विधायक द्वारा उठाया गया है उसके बावजूद भी आज भी वही अधिकारी, आपका पूर्व जिलाधीश और आपके तहसीलदार, एस.डी.एम. यह सबकी मिलीभगत है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिये । आप चाहते क्या हैं ?

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहूंगा कि धमतरी जिले में अब तक आपके माध्यम से क्या कार्रवाई हुई है और आपके माध्यम से आपके अधिकारियों को क्या पत्राचार हुआ है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धमतरी जिले में कुल 81 अवैध प्लॉटिंग की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें से 24 अवैध प्लॉटिंग को हटाने की कार्रवाई की गयी और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह सतत् प्रक्रिया है, इसके लिये अलग कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है । अभी वर्ष 2024 में ही 13 प्रकरण प्राप्त हुए हैं जिसमें उनको नोटिस जारी किया गया है । मैं माननीय सदस्य की बात को गंभीरता से लेता हूं, मेरा प्रभार जिला है । मैं समय-समय पर समीक्षा बैठक भी लेता हूं, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब जिले की आगामी बैठक होगी तो मैं इस विषय को रखूंगा और मैं इसमें बड़ी कार्रवाई करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

समय :

12.22 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी और उसके उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(2) श्रीमती चातुरी नंद

(3) श्री मोतीलाल साहू

(4) श्रीमती रायमुनी भगत

(5) श्री इन्द्र साव

समय :

12.22 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी -

(1) श्रीमती गोमती साय

(2) श्री विक्रम मण्डावी

(3. श्री मोतीलाल साहू

(4) श्री भोलाराम साहू

(5) श्रीमती संगीता सिन्हा

(6) श्री अनुज शर्मा

(7) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

(8) श्रीमती शेषराज हरवंश

(9) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(10) श्री उमेश पटेल

(11) श्री रिकेश सेन

(12) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

समय :

12.23 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जो ।

अनुमति प्रदान की गई ।

उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) (श्री विजय शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025)	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 202 (क्रमांक 5 सन् 2025)	45 मिनट

मैं, समझता हूं, सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

समय :
12.25 बजे

वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	33	आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
मांग संख्या	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या	49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या	64	अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मांग संख्या	**68**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन**
मांग संख्या	**82**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**83**	**अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**13**	**कृषि**
मांग संख्या	**54**	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय**

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये-दो सौ उन्तीस करोड़, पैतालीस लाख, अड़तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	33	आदिम जाति कल्याण के लिये-एक सौ पचपन करोड़, अट्ठाईस लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये - अड़तीस हजार दो सौ इकहत्तर करोड़, इक्कीस लाख, पचास हजार रूपये,
मांग संख्या	-	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिये - एक हजार आठ सौ चौदह करोड़,चौव्वन लाख, तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिये- दो करोड़, तिहत्तर लाख, नब्बे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक सौ अन्ठानबे करोड़, तिरासी लाख, सड़सठ हजार रूपये,
मांग संख्या	-	64	अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये - तेरह हजार सात सौ बयानबे करोड़, इक्कीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये- दो सौ इंक्यानबे करोड़, तीन लाख, पचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- दो सौ इकसठ करोड़, पैंसठ लाख, दस हजार रूपये,

मांग संख्या - 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिये- चार सौ इकसठ करोड़, बीस लाख, अन्ठानबे हजार रूपये,

मांग संख्या - 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये- दो सौ तिरासी करोड़, चौदह लाख, इकहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 13 कृषि के लिये-सात हजार छप्पन करोड़, तिरपन लाख, साठ हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिये- चार सौ छप्पन करोड़, छब्बीस लाख, छियासठ हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- इतने पैसे का क्या करोगे? पहले यह बताओ, फिर बहस शुरू होगी।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 33

आदिम जाति कल्याण

1. भूपेश बघेल 2
2. श्री दिलीप लहरिया 5

मांग संख्या - 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

निरंक

मांग संख्या- 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल

निरंक

मांग संख्या- 53

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

निरंक

मांग संख्या- 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

1. श्री दिलीप लहरिया 1

मांग संख्या- 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

1. श्री भूपेश बघेल 1

मांग संख्या- 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

1. श्री कुंवर सिंह निषाद 1

मांग संख्या - 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

निरंक

मांग संख्या - 13

कृषि

1. श्री भूपेश बघेल 5
2. श्री लखेश्वर बघेल 1

3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	3
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1
5.	श्री दिलीप लहरिया	3

मांग संख्या 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

1.	श्री भूपेश बघेल	1
2.	श्री संदीप साहू	3
3.	श्री ब्यास कश्यप	1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्री ब्यास कश्यप ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय रामविचार नेताम, कृषि मंत्री जी के विभागों की मांगों के संबंध में अपनी पार्टी और अपनी ओर से बातें कहना चाहूंगा । महोदय, मैं इस सदन में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्याएं और कृषि मंत्रालय की असफल नीतियां हमारे प्रदेश 70 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है । लेकिन यह विडम्बना है कि किसान जो हमें अन्न देता है वह खुद संकट में है । आज मैं इस सदन के माध्यम से कृषि विभाग की असफलताओं को उजागर करना चाहता हूं और सरकार से ठोस समाधान की मांग करता हूं । वर्तमान में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है । सरकार के द्वारा केन्द्र से एमएसपी की दर निर्धारित हुई, वह तो 3100 रूपए मिली लेकिन किसानों को 3217 रूपया मिलना चाहिए था, जब तक किसानों को रकम नहीं मिलेगी किसान कहां से आगे बढ़ पाएंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ब्यास जी, सच सच बताओ, बोलने के लिए ही विरोध कर रहे हो या दिल से भी विरोध कर रहे हो ?

श्री ब्यास कश्यप :- दिल से विरोध कर रहा हूं महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, दिल से विरोध कर ही नहीं सकते ।

श्री ब्यास कश्यप :- दिल से कर रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, भाजपा का विरोध दिल से नहीं कर सकते ।

श्री ब्यास कश्यप :- मैं किसान हूं और किसान के नाते किसानों की बात कहने के लिए मैं यहां खड़ा हूं । यहां बोल रहा हूं कि माननीय भूपेश बघेल जी बैठे थे 2500 देने की बात थी, उन्होंने अपने शासनकाल में 2640 तक गए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाजपा का विरोध दिल से कर सकते हो ?

श्री ब्यास कश्यप :- मैं पार्टी की बात नहीं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं । मैं यहां किसानों की मांग उठाने के लिए खड़ा हूं और कृषि मंत्रालय पर अपनी बात कहने के लिए आया हूं । कृपया छेड़े नहीं, मुझे किसानों की बात कहने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय :- सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जितनी भी आपकी भावनाएं हैं, उन्हें जितना संक्षिप्त हो सके, करने का प्रयास करें । क्योंकि आज ढाई बजे तक पूरा करना चाहते हैं ।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, सरकार जब समर्थन मूल्य घोषित करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है । किसान धान के अतिरिक्त अन्य फसल उगाते हैं लेकिन उन्हें समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ता है। बिचौलिये किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर औने-पौने दाम पर फसल खरीदते हैं । सरकार बड़े-बड़े दावे करती है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा है । समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने से किसानों को मजबूरी में बाजार में कम दाम पर फसल बेचना पड़ रहा है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और किसानों को शीघ्र भुगतान किया जाए । कल ही यह बात आई थी कि 1.49 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है । निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है परंतु हमारा जांजगीर-चांपा जिला, जहां से मैं आता हूं । 1 लाख, 40 हजार क्विंटल धान की कम खरीदी हुई । 6 हजार किसान अपना धान नहीं बेच पाए । ऐसा नहीं होना चाहिए, जब धान खरीदी की बात आती है जबकि जांजगीर-चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है, वहां सब चीजें कृषि आधारित होती हैं । परंतु हम धान नहीं बेच पाए, सरकार को इसका पता लगाना चाहिए और किसानों के साथ भविष्य में ऐसा न हो, मैं यह मांग करता हूं ।

समय :

12.35 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, सिंचाई के बगैर कृषि संभव नहीं है, हमें सूखा और जल संकट के लिए भी ध्यान देना चाहिए। सिंचाई को धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन आज भी हमारे किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता। राज्य में कई सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी है, नहर या तो टूटी है या पानी समय पर नहीं छोड़ा जाता है। कृषि विभाग को यह समझना होगा कि बारिश के भरोसे खेती नहीं चल सकती, किसानों को पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए हर गांव तक सिंचाई सुविधाएं पहुंचाई जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए, हर किसान को खेती के लिए पर्याप्त पानी दी जाए। खाद, बीज और कीटनाशक ये तीन विषय हैं, माननीय मंत्री महोदय, किसानों को समृद्ध बनाना है तो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और सिंचाई विभाग जब तक मिलकर योजना नहीं बनाएंगे तब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज भी खाद की कमी महसूस की जा रही है, आपके द्वारा सिंचाई के लिए भारी मात्रा में पानी दी जा रही है, हम यूरिया के लिए आज भी तकलीफ पा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी शून्यकाल में यह विषय उठाया था, आज ही किसानों का फोन आया, भैया हमें यूरिया नहीं मिल पा रहा है, सरकार इस ओर ध्यान दें, जांजगीर चांपा जिले या जितनी भी जगह खाद की कमी है, उस खाद की पूर्ति तत्काल की जाए। किसानों को हर साल खाद बीज और कीटनाशकों के लिए परेशान होना पड़ता है, सहकारी समिति में खाद की किल्लत रहती है। आज भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। जब किसान खाद लेने जाता है तो उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है या मुंह मोड़कर वापस आना पड़ता है। इसके अलावा बाजार में नकली कीटनाशक एक भारी समस्या है। बाजार में नकली कीटनाशकों की भरमार हो गई है। मंत्री जी, आपके द्वारा उसके लिए रोकथाम के प्रयास होना चाहिए। किसान महंगे दामों पर नकली दवाई खरीदने को मजबूर हैं जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है, वे दवाई देते हैं हम विश्वास में डाल देते हैं पर काम नहीं कर पाता है। हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है, लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। यह विभाग की जिम्मेदारी है कि किसानों को सही गुणवत्तापूर्वक सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि खाद, बीज और कीटनाशकों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए और नकली दवाई बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

सभापति महोदय, मैं बीज के लिए बात कहना चाहता हूं। कर्ज के तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह कितनी दुखद बात है कि हमारे अन्नदाता जो दिन-राज मेहनत करते हैं, वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले की बात है, उसके पुत्र ने कहा कि कर्ज के बोझ के नाते उन्होंने आत्महत्या की है। अन्नदाता जो दिन-रात मेहनत करते हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य में किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार को कर्जमाफी योजना चलाई जानी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जिस बात का वादा किया था कि सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के उन किसानों को हुआ जो कर्ज के बोझ से दबे थे। मैं वर्तमान सरकार से भी मांग करूंगा कि किसानों के ऋण माफी के लिए भी आप योजना चलाएं, उन्हें राहत दें ताकि वे आत्महत्या से छुटकारा पाएं। सरकार ने कर्जमाफी योजना चलाई थी लेकिन उनकी सभी जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाया। बैंक और साहूकार अब भी किसानों का शोषण कर रहे हैं, अगर किसानों को समय पर सहायता नहीं मिली तो वे फिर से कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के कर्ज को पूरी तरह

माफ किया जाए। साहूकार प्रथा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को तत्काल सहायता दी जाए।

माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि में तकनीकी की आवश्यकता है, दुनियाभर की खेती नये-नये आधुनिक खेती अपना रही है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान अभी भी पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर है। सरकार ने कृषि यांत्रिकी योजना शुरू तो की लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं कृषि मंत्री से यह अपील करता हूं कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी में प्रशिक्षण दें। ड्रीप एरिगेशन, जैविक खेती और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दें। छोटे किसानों को सब्सिडी देकर अत्यधिक उपकरण, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, अगर हमारे किसान आधुनिक तकनीकी को अपनाएंगे तो उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और आय भी दुगुनी होगी। हम 1 लाख 49 हजार मीट्रिक टन धान उत्पादन करते हैं। हमसे कम रकबे पर पंजाब 1 लाख, 72 हजार मीट्रिक टन धान का उत्पादन करता है। यह चिंता का विषय है। भविष्य में और धान उत्पादन या अन्य फसल की उत्पादकता को हम कैसे बढ़ायें, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। कृषि मण्डी और विपणन में सुधार की जरूरत है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए हमें मण्डी व्यवस्था में सुधार करना होगा। आज भी हमारे किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसे हैं। सरकार ने उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बजाय सीधे जोड़ने की बात कही थी, लेकिन यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया जाये और बिचौलियों को हटाकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाये। सभी मण्डियों में पारदर्शी मूल्य व्यवस्था लागू कर दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, फसल बीमा योजना। आज किसान फसल बीमा कराने से बच रहे हैं या डर रहे हैं। एक तरफ फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा कवच तो होती थी, लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। जब किसानों को फसल में नुकसान होता है तो उसे उसका मुआवजा पाने के लिए महीनों तक चक्कर लगाना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि फसल बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये, ताकि किसान को इस मामले में सरकार और बीमा कंपनियों के ऊपर भरोसा हो। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान को योजना का लाभ मिले। बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाये।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात सहकारिता होती है। अभी-अभी हमारे केन्द्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी आये थे और सहकारिता के विषय में अपनी बहुत सारी योजनाएं लाये थे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसानों के हित में सहकारिता के क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में हम किसानों को ऋण, खाद, बीज, धान खरीदी, ये सुविधाएं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की स्थिति बहुत खराब है। 2025 सहकारी संस्थाओं के लिए मात्र 300 प्रबंधक हैं, जबकि 1700 समितियों के लिए

अक्षम और अप्रशिक्षित व्यक्ति प्रबधंक का कार्य देख रहे हैं। यदि किसानों को पूरी सुविधाएं देनी हैं तो हमें इन सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। हमारे यहां बैंकिंग संस्थाएं अपेक्षाकृत कम हैं। इसकी संख्या बढ़ाई जाये, क्योंकि आपकी जो सुविधा है और आप जो राशि उपलब्ध कराते हैं, वह घण्टों तक नहीं, बल्कि दिनों तक किसानों को नहीं मिलती हैं और उनको सहकारी समिति यानी बैंकों में जाकर लाइन लगानी पड़ती है। इससे उनको समय पर राशि नहीं मिल पाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में केवल 6 जिला सहकारी बैंक हैं, जो अपर्याप्त हैं। कभी-कभी प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज या प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात आती है, परंतु हमारे छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियां अपर्याप्त हैं, इसलिए सरकार द्वारा इसकी संख्या बढ़ाई जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आवेदन और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यहां 11 लोक सभा क्षेत्र हैं तो कम से कम 1 लोक सभा क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक खोली जाये, ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग के विषय में कहना चाहता हूं कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो संस्था है, कामधेनु विश्वविद्यालय, उसमें मैं स्वयं था। कामधेनु विश्वविद्यालय में उस समय एक योजना बनी थी कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो कोसली गाय है। माननीय मंत्री महोदय, कोसली गाय में स्वर्ण क्षार पाया जाता है। उस गाय के संवर्धन के लिए आप ऐसा कुछ करें, ताकि वह हमारे छत्तीसगढ़ की दुधारू गाय नहीं बन पाई है, जो कि कम दूध देती है, उसकी हम कैसे व्यवस्था करें। किसानों के घर में अधिकांश संख्या में आज भी हमारी लोकल छत्तीसगढ़ की गाय हैं, इसलिए उसमें दुग्धवर्धन के उपाय किये जाये। देशी गाय की नस्ल सुधार के लिये भी उपाय किये जाये। मुझे पता है कि उस समय डॉ. रमन सिंह जी ने कामधेनु विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करायी थी, परंतु वह कम लगता है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में पशुपालन विभाग व कृषि विभाग में बहुत सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं। जब तक इन रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो जाएगी, तब तक हम अपनी बात को कैसे आगे बढ़ा सकेंगे? मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमारे यहां बहुत सारे विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत कृषि महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय को मिलाकर कुल 39 महाविद्यालय हैं, जहां पर हर साल बच्चें पढ़-लिख रहे हैं और पढ़ने के बाद वे बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। उन बेरोजगारों के लिए, उन छात्रों के लिए जो मेहनत करते हैं, हमें उनके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां मांग करता हूं कि बी.एस.सी. एग्रीकल्चर, एम.एस.सी. एग्रीकल्चर करने के बाद, उद्यानिकी करने के बाद विभाग में पर्याप्त मात्रा में रिक्त पद हैं, तो उनकी

नियुक्ति सरकार के द्वारा अतिशीघ्र करनी चाहिए। हमारे युवा माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो बेरोजगार हैं, वे बी.एस.सी. एग्रीकल्चर, एम.एस.सी. एग्रीकल्चर किए हुए हैं, इतने-इतने पद रिक्त हैं तो कम से कम रिक्त पदों की पूर्ति की जाये ताकि बी.एस.सी. एग्रीकल्चर, एम.एस.सी. एग्रीकल्चर किए हुए बेरोजगार छात्रों को भी वहां काम मिल सके। माननीय डॉ. रमन सिंह के समय की बात है, उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि प्रत्येक जिले में कृषि महाविद्यालय बनायेंगे। उसके तहत भी महाविद्यालयों की संख्या 39 है, निजी और शासकीय महाविद्यालय मिलाकर 39 है और वहां से 3 हजार से अधिक छात्र प्रति वर्ष पढ़कर निकल रहे हैं। तो सरकार कृपा करके उनके भविष्य के लिए भी चिंता करे, यह बात मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, संक्षिप्त करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं। हमें अनुसंधान पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुरूप बीज उत्पादन कर सकें, बीज मिल सके। आज मैं स्वयं बीज विकास निगम के माध्यम से अपने यहां धान का उत्पादन करता हूं, वहां से बीज लाता हूं। परन्तु छत्तीसगढ़ में बीज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जब से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हो रही है, एम.एस. पी. से ज्यादा दाम पर सरकार द्वारा धान की खरीदी हो रही है, वह चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या किसान समृद्धि योजना हो, जब से यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है, सभी किसान उत्पादन करके बेच देते हैं। पहले अधिकांश किसान बीज रखते थे, अब एक किसान अपनी कोठी या घर में बीज नहीं रख रहे हैं। पिछले सत्र में भी यह विषय आया था कि बीज विकास निगम द्वारा बीज की आपूर्ति होनी थी, लेकिन किसानों को आपूर्ति नहीं हो पाई थी। निजी संस्थाओं या व्यापारियों से बीज लिया गया था, लेकिन वह बीज अमानक हो गया था। मैं अभी बीज विकास निगम खोखसा के माध्यम से 4 हैक्टैयर में बीज उत्पादन कराया। जब मैंने बीज लिया तो वह बीज 2023 का था, मैंने भरोसा कर उस बीज को जर्मिनेशन के लिए डाल दिया, परन्तु दुर्भाग्य से मुश्किल से 20 प्रतिशत बीज ही सफल रहे। उसके कारण मुझे दोबारा बोनी करनी पड़ी। तो कम से कम किसानों को ऐसे बीज न उपलब्ध कराया जाये। आज भी समय है कि बीज विकास निगम पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराये, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीज विकास निगम के माध्यम से किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध करायें, ताकि अधिक कीमत पर बाजार से बीज खरीदना न पड़े।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, समाप्त करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, कृषि और मंडी के साथ-साथ मंडी और बोर्ड भी माननीय मंत्री जी के पास है। हम किसान मण्डी में धान बेचते हैं, धान बेचने के बाद उसका जो शुल्क होता है, मण्डी में आता है और मंडी से मंडी बोर्ड तक जाता है। परन्तु देखने में यह आया है कि सरकार चाहे

किसी की भी रहे, मैं एक किसान के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि उस शुल्क का उपयोग किसानों के हितों के लिए हो। धान खरीदी केन्द्रों के अहाता निर्माण, किसान कुटीर निर्माण, शेड निर्माण, गोदाम निर्माण जैसे कामों को सरकार प्राथमिकता दें, ताकि जो किसानों के समक्ष जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से किसान बाहर निकल सकें, यह मैं अपील छत्तीसगढ सरकार से करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी है। अभी वर्तमान में पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग कहकर इस वर्ग के लिए 50 आरक्षण करने की बात आई थी। परन्तु आज हम पिछड़े वर्गों को जिला पंचायत में एक सीट भी नहीं मिल पाया। इसी विधान सभा में 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, परन्तु आज हमें नहीं मिल पाया है। भविष्य में इस बात पर ध्यान दें ताकि पिछड़ा वर्ग का कल्याण हो। जांजगीर-चांपा जिला के अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। वहां विभाग के लोग आये थे और उन्होंने बताया कि यहां हॉस्टल स्वीकृत है। मैं वर्तमान में माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से आप अन्य लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के नाम से क्षेत्रवार प्राधिकरण का गठन किया गया है। उसी तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण को क्षेत्रवार पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, इससे भौगोलिक क्षेत्र एवं आबादी के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी, इससे सही मायने में पिछड़ा वर्ग के लोगों का विकास होगा। एक पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण बना है। एक विधायक होने के नाते उनकी अनुशंसा पर काम देना था। मैंने भी अनुशंसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। उन मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जाये। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के उन पिछड़े वर्ग के गांवों के विकास के लिए हमारी तरफ से जो कुछ अनुशंसाएं थीं, उसके लिए भी काम हो जाये। मैं यह मांग करता हूं और मैं अंतिम में यह बात कहना चाहता हूं कि किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य दिलाने लिए ठोस नीति बनाई जाये, सिंचाई एवं जल संकट का स्थाई समाधान किया जाये, खाद, बीज एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता एवं आपूर्ति सुनिश्चित की जाये, किसानों के कर्ज को पूरी तरह से माफ की जाये, कृषि बाजार व्यवस्था को किसानों के अनुरूप बनाया जाये, फसल बीमा योजना को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाये, किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाये। अगर सरकार किसानों की भलाई के लिए गंभीर है तो सिर्फ घोषणाएं करने के बजाय जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। जब तक हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदेश भी तरक्की नहीं कर पाता है। यह बात मैंने कहा है और मुझे विश्वास है कि हमारी बातों पर छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी ध्यान देंगे और वे ध्यान देकर कृषि के क्षेत्र, छात्रों के क्षेत्र एवं सभी

क्षेत्रों में जहां माननीय मंत्री जी के विभाग है, उस विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करके इन सभी समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ मंत्री और साथ ही जिनका लंबा अनुभव रहा है, चाहे वह कृषि के बारे में हो या इस प्रदेश के बाहुल्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बारे में हो, उन सारे चीजों को समझते हुए आज हमें उनके अनुभव का लाभ मिल रहा है। माननीय मंत्री जी के द्वारा अपने विभागों का जो अनुदान मांगें रखी गई है, मैं उनका समर्थन करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के यदि जीवन का आधार है तो वह कृषि है। आज भी प्रदेश का 80 प्रतिशत आबादी कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के ऊपर निर्भर हैं और उसके माध्यम से उनके परिवार का पालन-पोषण किया जाता है। माननीय मंत्री जी के द्वारा लगातार कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसके साथ हमारे बीज निगम के द्वारा किसानों के डिमांड के अनुसार बीज की आपूर्ति और उसके साथ में पेस्टीसाईड, उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाये, इन सारी बातों को लेकर मंत्री जी के द्वारा कार्ययोजना बनाकर काम की जा रही है। मैं उस कार्ययोजना के परिणाम के बारे में, कृषि के बारे में केवल एक बात कहूंगा कि जिस प्रकार से किसानों और किसानों की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो योजना बनायी गयी है, उसके बाद इस वर्ष को देखें तो इस वर्ष जो 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, उसमें हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी का महत्वपूर्ण योगदान है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- ओमा के 18 लाख क्विंटल ला कहां खा दिस हे, ओला मोदी हा बतावय।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उस समय हम 5 लाख मीट्रिक टन, 6 लाख मीट्रिक टन से शुरू किये थे, हमारी उत्पादन क्षमता क्या रही है और उस उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर यदि हम 149 लाख मीट्रिक टन में पहुंचे हैं तो इसके पीछे हमारी सरकार की मेंहनत, हमारे मंत्री जी का जो परिश्रम है कि जिस प्रकार से किसानों को आगे बढ़ाने के लिये, उनकी सिंचाई योजनाओं को बढ़ाने के लिये, उसको सही समय पर बीज उपलब्ध हो सके, उसके लिये जो प्रयास किये गये, उसके कारण यह सारा संभव हुआ है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में यदि कोई धान का कटोरा है तो उस प्रदेश का नाम हमारा छत्तीसगढ़ है । छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरे के रूप में है और उस धान के कटोरे में पर्याप्त मात्रा में आज किसान धान का उत्पादन ले रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम कैसे किसानों को बढ़ाने के लिये काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 रूपये प्रत्येक किसानों को दिये जाने का प्रावधान किये हैं,

उनको 3 किश्तों में 2000 रूपये राशि के अंतर्गत दिया जाता है । सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष 2022-2023 और वर्ष 2023-2024 में हमारे 23 लाख 23 हजार 485 किसान लाभान्वित हुये हैं और वर्ष 2024-2025 में बढ़कर 26 लाख 5 हजार 966 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, यह हमारे लिये संतोष का विषय है । सभापति महोदय, हम लोग कई बार गांवों में जाते हैं, हमारे किसान इस बात को रखते हैं, यदि किसान का किसी कारण से पंजीयन नहीं हुआ है, उसको इसका लाभ नहीं मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस दिशा में जो लगातार प्रयास किये गये, आज 26 लाख से ऊपर किसानों को यदि राशि मिल पा रही है, यह हमारे मंत्री जी की जो सजगता है और नोडल जो विभाग है, उसके कारण से संभव हुआ है, मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारी कृषक उन्नति योजना है, हम लोगों ने घोषणा किया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनायें, हम एक एकड़ में उनके 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, हम 3100 रूपये के भाव में उनके धान की खरीदी करेंगे, उसके लिये जो अंतर की राशि है उसे हम कैसे दें, उसके लिये कृषक उन्नति योजना हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है । सभापति महोदय, कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में 25 लाख 52 हजार 589 पंजीकृत किसानों के फसल को खरीदने के लिये हम लोग 34 लाख 60 हजार 466 हेक्टेयर का पंजीयन कराया और उसके बाद वर्ष 2025 में 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है । सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष में रिकार्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है । किसानों के लिये इस बजट में 10 हजार करोड़ रूपये का इस साल प्रावधान किया गया है, ताकि समय पर किसानों के अंतर की राशि का भुगतान कर सके । माननीय सभापति महोदय, एक समय कोदो, कुटकी और रागी के बारे में यह कहा जाता था कि यह गरीबों का भोजन है, जो कि आम लोगों में प्रचलन नहीं था । रागी, कुटकी और कोदो उपहास का विषय रहा है । हमारे फसल उपेक्षा की दिशा में रहे हैं, लेकिन मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने यह योजना बनाई और योजना बनाकर इसको मिलेट्स में शामिल किया गया । उसके लिए सरकार के द्वारा खरीदी की योजना भी बनाई गई और कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलों को श्री अन्न भी कहा जाने लगा है । इस योजना की शुरूआत 2022 में की गई है ।

समय :-

1:00 बजे

श्री भूपेश बघेल :- कौशिक जी बहुत धारा प्रवाह बोल रहे हैं । आप किसको सुना रहे हैं ? पूरा ट्रेजरी बैंच साफ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप बैठे हैं और आप सुन रहे हैं । बाकी सभी चीजें तो रिकार्ड में आ

रही है ।

श्री भूपेश बघेल :- कौशिक जी, मैं तो कहिथौं कि मोला सुने बरोबर लगथे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आप बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, बाकी हमारे सदस्य बैठे हुए हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं तो आपके सम्मान में बैठा हूं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा कुटकी फसल, कोदो, कुटकी को खरीदने की बात की गई है । राज्य सरकार द्वारा कोदो के लिए 3200 रूपए क्विंटल समर्थन मूल्य एवं कुटकी के लिए 3350 रूपए क्विंटल की दर पर उपार्जन और भारत सरकार के द्वारा रागी का न्यूनतम निर्धारित समर्थन मूल्य 3846 रूपए की दर से खरीदी की व्यवस्था बाजार में की गई है और समर्थन मूल्य में लिया जा रहा है । आज हम देख रहे हैं कि ऐसी जमीन जहां पर हम धान का उत्पादन नहीं ले सकते, जहां पर अन्य फसल नहीं ले सकते थे, जो हमारी बंजर भूमि है, वहां पर हमारे किसानों के द्वारा कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेकर समर्थन मूल्य में बेचकर वे एक बड़ी आय अर्जित कर रहे हैं । इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- आप बढ़िया बोलथौ । आप अइसे ही भाषण देत रहाव, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता यह भी जानना चाहथे कि दिल्ली के सरकार ह 170 रूपिया अतिरिक्त पइसा दे हवय, तेन ला तुमन जेब में धरत हव, देत नहीं हव, तेकर बारे में बतावव।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021 में कोदो, कुटकी एवं रागी का समग्र रूप से मात्रा 52728, 1603.48 लाख की खरीदी किसानों से की गई । 2022-23 में समग्र रूप से मात्रा 39629, 1224 लाख रूपए की खरीदी किसानों से की गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि हम जो कोदो और कुटकी की बात करते थे, उसके समय में परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार से इसका महत्व बढ़ा है, इसके लिए मिलेट्स ईयर घोषित हुए । आप आप देखेंगे कि जो पार्टियां होती हैं, जो गोष्ठियां होती हैं, जो सेमीनार होते हैं, उसमें लोग विदेशों से आते हैं । ऐसी चीजों में जब वहां की फूड की व्यवस्था की जाती है तो वहां पर कोदो, कुटकी एवं रागी से बने हुए चीजों का व्यंजन भी बनाया जाता है और व्यंजन बनाकर उनको परोसा जाता है और लोग बड़े चॉव के साथ में खाते हैं । लोगों में यह जो परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, कौशिक जी श्री अन्न की बहुत तारीफ कर रहे हैं, यह मुझे बहुत अच्छा लगा । मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, तब भी मिलेट्स के बारे में बड़ी चर्चा की थी और आप भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं । लेकिन दुख की बात यह है कि कोदो, कुटकी, रागी बोने वाले किसानों को हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 10 हजार रूपए प्रति एकड़ देते थे,

उसे इस सरकार ने बंद कर दिया है । आप अपने भाषण में बदलीदार मंत्री जी मांग कर दीजिए, कम से कम वे उसे नोट कर लेंगे और मंत्री जी आएंगे तो वे उसका जवाब देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे साथी नोट कराने के लिए बैठे हुए हैं और जो कमियां आपको दिखाई दे रही है, उसे नोट कराएंगे । मंत्री जी उसमें आगे विचार करेंगे और विचार करके किसानों के हित में जो हो सकता है, हमारी सरकार कभी किसानों के हित से पीछे नहीं हटेगी।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- महोदय, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 10 हजार किसको मिलता था? ये 10 हजार उनको मिलता था, जो पहले धान बोते थे और धान बोना छोड़ दो और उसके बाद मिलेट्स में जाओगे तब 10 हजार देंगे। ये तो कोई जस्टिस नहीं हुआ।

श्री भूपेश बघेल :- कइसे टेकाम जी, तें कलेक्टर रहेस त अईसने करत रहेस होबे। हमर त आदेश ये रहिस कि ..।

श्री नीलकंठ टेकाम :- मार्गदर्शन, दिशा निर्देश तो आपका ही था।

श्री भूपेश बघेल :- वईसन कोई निर्देश दिखा दे भला मोला। दिखा दे।

श्री नीलकंठ टेकाम :- बिल्कुल दिखा देहं। आपके अधिकारी बैठे हैं, वह दिखा देंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कुल 40 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से लगभग 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक हैं। उनके लिए हमारी जो सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वह पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसमें वर्ष 2005-06 में शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई है। हमारे छोटे किसानों के पास, आधा एकड़, एक एकड़, दो एकड़ खेत है। संभव नहीं है कि वे खुद खेती कर सकें, इसलिए उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा शाकंभरी योजना की व्यवस्था बनाई गई, जिसके अंतर्गत आधा हार्स पॉवर से पांच हार्स पावर तक विद्युत पंप, डीजल पंप, पेट्रोल चलित पंप, मिट्टीतेल चलित पंप हमारे किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं। मतलब 25% राशि किसानों को देना है और 75% सरकार के द्वारा दी जा रही है, ताकि सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जा सके। उन्हें कूप निर्माण के लिए हमारी सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस साल के बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपए रखे गये हैं, ताकि किसान कुआं खोदकर सिंचाई कर सकें और वे पंप खरीदी कर सकें। इसके लिए जो सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, उसका लाभ निश्चित रूप से आज किसानों को मिल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं किसान समृद्धि योजना की बात करूं तो खासकर वृष्टिछाया क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के किसान हैं, उन्हें 43 हजार रुपए की सिब्सडी दी जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए 35 हजार और सामान्य वर्ग के किसानों को 25 हजार रुपए का

अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत 1 लाख 957 कृषकों को लाभान्वित कर 2 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई विकसित की गई है। निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को काफी लाभ हुआ है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से आज के समय हमारा जो कृषि यंत्रीकरण है कि अलग-अलग समय में जो औजार/उपकरण निकल रहे हैं, उनका कैसे लाभ लिया जा सके और किसानों को कैसे हम उन्हें सब्सिडी के माध्यम से प्रदान कर सकें, इसके लिए submission on agriculture mechanization योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में submission on agriculture mechanization अंतर्गत राशि 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे जो किसान हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज देने से लाभ होगा। इससे हमारे फसल के उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसलिए आप देखेंगे कि जब बोआई का समय आता है, चाहे वह धान के समय का खरीफ सीजन हो या गेहूं फसल के रबी का सीजन हो, आजकल लोग बीज बदलकर नए बीज लाते हैं और नए बीज का उपयोग करते हैं। नये बीज का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा धान का या फसल का उत्पादन करते हैं ताकि हमारे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। उसके लिये हमारी सरकार के द्वारा बीज, धान, गेहूं, रागी, कोदो एवं कुटकी बीज उत्पादन वितरण पर 500 रूपये प्रति क्विंटल, साथ ही दलहन फसल के बीज उत्पादन पर 1,000 रूपये प्रति क्विंटल और तिलहन बीज उत्पादन पर 1,000 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राशि दी जाती है ताकि हमारे किसान प्रोत्साहित हो और प्रोत्साहित होकर ज्यादा से ज्यादा इन बीजों का उपयोग करें और उससे अपने उत्पादन को बढ़ाये। हमारे यहां अक्ती बीज संवर्धन, दलहन उत्पादन प्रोत्साहन योजना भी लागू है। माननीय सभापति महोदय, 9 लाख 20 हजार 275 क्विंटल बीज वितरण, 9 लाख 3 हजार 719 क्विंटल बीज उत्पादन एवं 31,001 क्विंटल दलहन बीज का उत्पादन किया गया है। हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हो, इसके लिये सरकार के द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई की स्थिति है, वह लगभग 1220 मि.मी. औसत वार्षिक वर्षा में सिंचाई पर्याप्त है। लेकिन जब हम समग्र रूप से खेती की सिंचाई की बात करते हैं तो हमारा प्रदेश लगभग 33 प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत आता है, जिससे हमारे विभिन्न क्षेत्रों से किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। इसलिए हमारे कृषि विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि हम उसका नाला बंधान कैसे करें, हम तालाब कैसे बनवा सके, जिस तालाब के माध्यम से हम अपनी खेती की सिंचाई कर सके। इसके लिये हमारी सरकार के द्वारा 25 लघुत्तम सिंचाई तालाब पूर्ण किए गए हैं और 57 निर्माणाधीन हैं। छोटे-छोटे नदी नालों में जो हमारा पानी जा रहा है, हम उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उस पानी को कैसे रोक सके और रोककर उसे अपने खेतों में कैसे पहुंचा सके, उसके लिये मैंने बताया कि हमारे लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 5 हॉर्स पॉवर तक के पंप की व्यवस्था की गयी है। इससे हम सिंचाई के क्षेत्र में किसानों की भी मदद कर रहे हैं और हमारे सिंचाई के क्षेत्र के रकबा में भी वृद्धि हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, हम लगातार इस दिशा में देख रहे हैं कि हम वर्षा पर आधारित रहते हैं और हम ऊपर देखते रहते हैं, जो हमारी सिंचाई की क्षमता नहीं है। कभी अतिवृष्टि हो गयी, कभी अल्पवृष्टि हो गयी और कभी हमारी फसल पकने के बाद ओलावृष्टि हो गयी। यह जिस प्रकार से हमारे किसानों की फसलों की बादल फटने से, ओलावृष्टि से एवं आकाशीय बिजली से क्षति होती है, इससे हम किसानों को कैसे बचा सके ? हम उनकी भरपाई कैसे कर सके ? इसके लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है, जिससे हमारे किसानों की जो क्षति होती है, उसका आकलन किया जाता है और आकलन के बाद हमारे किसानों को उसकी भरपाई की जाती है। इसलिए हम किसानों का बीमा कराते हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। आपके पास बिगड़े मौसम, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बीमा योजना हेतु 44 करोड़ 84 लाख 92 हजार 164 रूपये हैं परंतु 21 करोड़ 45 लाख 65 हजार रूपये राशि का मुआवजा शेष है, आप दे नहीं पा रहे हैं। आप इसके बार में थोड़ा बता दीजियेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह मुझे नहीं बताना है। यहां मंत्री जी बैठे हैं, आप उनको बताईयेगा वह आपको बतायेंगे। आप लोगों ने फसल बीमा का कितना मुआवजा दिया था और हमने कितना मुआवजा दिया है, मंत्री जी वह भी बतायेंगे। आप चिंता मत करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- मैंने आपकी शेष मुआवजा राशि की जानकारी दी है। आप कह रहे हैं कि हमने यह किया, आपने वह किया। यह कोई छोटी राशि नहीं है। आप किसानों को लगभग 21 करोड़ रूपये की राशि नहीं दे पा रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, फसल बीमा योजना में सिंचित धान, असिंचित धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी सारी फसलों का बीमा किया जाता है । वर्ष 2023-2024 के फसल बीमा पोर्टल में 17 लाख 34 हजार 331 कृषकों का बीमा किया गया है मतलब इसमें 17 लाख किसानों का बीमा हुआ है। यदि मैं दावा भुगतान की बात करूं तो 3 लाख 45 हजार 303 पात्र किसानों को 579 करोड़ रूपये का दावा भुगतान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग यह पहले भी देखते थे कि हमारी फसलें चली जाती थीं, हमारे किसानों के फसल बर्बाद हो जाते थे, लेकिन तब उन्हें एक पैसे की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिल पाती थी। जब से यहां प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है तब से किसानों के मन में यह निश्चिंतता आयी है कि किसी भी कारण से हमारे फसलों का नुकसान हुआ तो हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब चाहे हमारी केन्द्र की सरकार हो, चाहे माननीय विष्णु देव जी की सरकार हो, वह हमारी फसलों के नुकसान की भरपायी करेंगे। हमारे प्रदेश के किसानों में यह निश्चिंतता आयी है। हम यह देख रहे हैं कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। जिसके कारण हमारे राज्य सरकार के द्वारा राज्यांश की राशि भी बजट में प्रावधानित है ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम

फसल बीमा का लाभ दे सकें। मैंने उपकरण की बात बतायी। हमारे किसानों को उपकरणों में भी सब्सीडी देने की योजना है। हमारे यहां कृषकों को शक्तिचलित यंत्रों ट्रैक्टर में सब्सीडी दे रहे हैं, पॉवर डीलर में सब्सीडी दे रहे हैं, रोटाबेटर में सब्सीडी दे रहे हैं, रीपर में सब्सीडी दे रहे हैं और इसके अलावा हमारे जो अन्य राईस, दाल, मिलेट्स मिल, ऑईल मिल हो गये। अनुसूचित जाति, जनजाति लघु सीमान्त महिला कृषकों के लिए 60 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों के लिए 50 प्रतिशत की सब्सीडी है। इसी प्रकार से हमारे मशीनरी में भी मशीनरी बैंक की स्थापना तथा 15 कृषक समूहों को अलग-अलग दी गई है, इसमें उसका वर्णन है। यदि आज किसान अपनी जरूरतों की चीज लेना चाहें तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा उनकी व्यवस्था की जा रही है, उससे उनकी खेती करने के लिए एक ट्रेक्टर, छोटे राईस मिल से लेकर और अनेक चीजों में राहत मिली है। हमारे प्रदेश का किसान अपने पैरों में खड़ा हो सके, इस पर हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किये गये हैं। इससे उनको लाभ मिल रहा है। केन्द्र सरकार के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना है। जैविक खेती से जो उत्पादित चीजें हैं आज बाजार में उन जैविक उत्पादों का मूल्य देखेंगे। जो सामान्य खेती से उत्पादित फसलें हैं, बाजार में उस जैविक उत्पादों का ज्यादा रेट निर्धारित है। वहां पर लोग जाकर उन जैविक उत्पादों को खरीदना चाहते हैं। इसलिए बाजार में वह जैविक उत्पाद भी महंगे भाव में बिक जाते हैं। हमारे प्रदेश के किसान जैविक खेती की ओर लौट रहे हैं। जैविक खेती मिशन वर्ष 2023-2024 में 39 हजार 950 किसानों के 15 हजार 980 हेक्टेयर रकबे का जैविक प्रमाणिकरण किया गया। वर्ष 2024-2025 में 15 हजार 500 किसानों के 6 हजार 200 हेक्टेयर रकबे में जैविक खेती मिशन के प्रथम वर्ष का क्रियान्वयन हुआ है। हमारे प्रदेश में पम्परागत कृषि के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे किसानों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे किसान के खेतों का मिट्टी परीक्षण होता है। उसके लिए हमारे प्रयोगशालाएं बनायी गयी हैं, चलित प्रयोगशाला हैं और उसमें कितना उर्वरक डालने की जरूरत है, उसमें कौन-कौन से उर्वरक डालने चाहिए, उसके लिए कितनी उर्वरक की आवश्यकता है, धान, गेहूं और मक्के के लिए क्या है ? इस मिट्टी परीक्षण से यह हुआ कि हमारे किसान जो अपने मन से ज्यादा खाद डालते थे या जिसकी जरूरत नहीं है, वह खाद अपने खेतों में डालते थे। आज उनको जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से उन किसानों के खेतों में कितने खाद की आवश्यकता है, इस बात की जानकारी दी जाती है और जानकारी देने के बाद में कम खाद और दवाई में ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, एक तरफ हम खेत को अधिक उर्वरक के कारण खराब होने से बचा सकते हैं और दूसरा कम खाद में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसके लिए यह बड़ी योजना बनाई गई है। सभापति महोदय, मैं कृषि विभाग के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा कि हम पहले दूसरे प्रदेशों के ऊपर बीज के लिए आश्रित रहे हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं इसी विषय में जैविक खाद के ऊपर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप तो बोल चुके हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं बोल चुका हूं। धरमलाल कौशिक भैया जी ने जिस बात को कहा कि जैविक खाद में अधिक उत्पादन होता है, वास्तव में जैविक खाद में उत्पादन कम होता है। उनके लिए कम से कम शासन स्तर से खरीदी की भी व्यवस्था की जाये ताकि उनको नुकसान न हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह उसी में नरवा, गरूआ, घुरूआ, बाड़ी में आये हैं। सभापति महोदय, पहले हम लोग दूसरे प्रदेशों के ऊपर बीज के लिए आश्रित थे। लेकिन मुझे कहने में इस बात की खुशी है कि आज हम धान के बीज के लिये न केवल अपने प्रदेश के लिए बल्कि प्रदेश के बाहर भी बीज भेज रहे हैं और उस दिशा में हम लोगों में आत्मनिर्भरता आई है और उसके लिए हम यहां पर पर्याप्त बीज का भंडारण कर रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं। दलहन की स्थिति में हमारी लगातार प्रगति हो रही है और हम यहां पर दलहन की स्थिति में काफी मात्रा में किसानों को बीज उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। अभी तिलहन में हमारी जरूर कमजोरी है। तिलहन में हमको ज्यादा से ज्यादा बाहर से बुलाने की आवश्यकता है। लेकिन तिलहन में भी जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है और योजना बनाकर काम किया जा रहा है, उसके कारण हम उसमें भी कुछ समय बाद दूसरे प्रदेशों में भी भेजने में सफल होंगे। कृषि के क्षेत्र में मैं यह समझ सकता हूं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पहले और अब जो योजना प्रारंभ की गई है, उसके कारण हमारे किसान लगातार समृद्ध हो रहे हैं। उसके कारण बाजार में समृद्धि दिखाई दे रही है। हम यह जो बोलते हैं कि इतने वाहन की बिक्री हुई है, हमारी बाजार में इतनी रौनक आई है, यदि बाजार में समृद्धि, रौनक आई है और वाहनों की बिक्री हो रही है तो उसके पीछे हमारे अन्नदाता हैं और हमारे किसानों के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं हमारे कृषि विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हैं और इस विभाग की जो जवाबदारी है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा करना, उनको न्याय मिलना और उसके लिए हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश स्तर पर जनजातीय सलाहकार, पिछड़ा वर्ग सलाहाकार, अनुसूचित जनजाति सलाहकार समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। उनके हित में लगातार काम करना जिनका काम है, उनकी अनदेखी, उपेक्षा न हो। सरकार उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है ताकि उनकी सभी चीजों में बदलाव आये, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में बदलाव आये और वह अपने आप में सक्षम होकर खड़े हो सकें, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सकें,

इसके लिए माननीय मंत्री जी के इन विभागों के द्वारा काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पोस्ट्र मेट्रिक छात्रवृत्ति की बात करना चाहता हूं। हमारे पढ़ने वाले छात्रों को समय पर जो छात्रवृत्ति दी जाती है, उस छात्रवृत्ति के कारण में उनकी पढ़ाई न रूके, यह हमारी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा राशि दी जाती है और इसलिये केंद्र प्रवर्तित योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60-40 के अनुपात में होता है और इसी प्रकार जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से 75 और 25 के अनुदान पर केंद्रांश प्राप्त होता है, शेष राशि हमारे राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है ।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए इस बात की खुशी है कि वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 60,182 विद्यार्थियों को 63 करोड़ रूपये का वितरण किया गया था और कैसा वितरण किया ? पारदर्शी व्यवस्था । हम जो पैसा भेज रहे हैं वह वहां तक पहुंचना चाहिए, डी.वी.टी. के माध्यम से पहुंचना चाहिए । हम वर्ष 2024-25 की बात करेंगे तो वर्ष 2024-25 में हमारा अभी प्रक्रियाधीन है और वर्ष 2025-26 में हमारे बजट में 80 करोड़ रूपये का प्रस्तावित व्यय प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति वर्ष 2023-24 में 78,193 विद्यार्थियों को 73 करोड़ रूपये की छाऋवृत्ति । हमारी उच्च शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको दिया गया है और उसके साथ में वर्ष 2024-25 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और अभी उनको 110 करोड़ रूपये छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये प्रावधानित किया गया है ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य से यह जानना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति का जो...।

सभापति महोदय :- आप सवाल मत करिये, मंत्री जी जवाब देंगे । अभी धरमलाल जी अपनी बात रख रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बोलकर नोट करा देना, मंत्री जी आपको उसका पूरा जवाब दे देंगे । माननीय सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये इसी प्रकार से हमारी जो उच्च शिक्षा है । इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिये सौ प्रतिशत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है और छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु उसके जो पालक हैं, अभिभावक हैं । चूंकि उसकी वार्षिक आय सीमा 1 लाख रूपये है । वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ा वर्ग, उच्च शिक्षा के लिये 1 लाख 71,705 विद्यार्थियों को 134 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है और इसके साथ ही इस वर्ष बजट में भी 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मूल आदिवासी समाज की जो पहचान है और उस पहचान के साथ में हमारे महापुरूषों ने समाज में जो काम किया । उन काम करने वालों को हम चिरस्थायी कैसे

बना सकें ? उसके लिये मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार के द्वारा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव चूंकि 10 दिसम्बर को उनका शहादत दिवस मनाया जाता है और उस अवसर पर शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन उनके जन्म स्थान सोनाखान में लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । इसके साथ ही साथ प्रतियोगिता का भी आयोजन, चूंकि प्रदेश स्तरीय, राज्य स्तरीय आयोजन किया जाता है जिसमें हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है । माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी समाज की देवगुड़ी की जो एक कल्पना थी उसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया । देवगुड़ी के निर्माण के लिये 5 लाख रूपये की सीमा का प्रावधान है । 14294 देवगुड़ी योजनांतर्गत अब तक...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय भूपेश बघेल जी ने देवगुड़ी की शुरूआत की थी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कुछु नइ । मैं कहत हंओं कि देवगुड़ी के शुरूआत माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार हा करे रिहिस हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं अभी बोलना नहीं चाहता । मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं कि आज जितनी योजनाएं चल रही हैं इन योजनाओं में 98 प्रतिशत हमारे जो आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा प्रारंभ की गयी है और वह योजना आज भी संचालित है। आप प्रतिवेदन को थोड़ा सा पढ़ना कि उसकी शुरूआत कब हुई है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों की लपकने की आदत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी..।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप मत टोकिए। आप बोलने दीजिए। आपका समय आयेगा तो आप अपनी बात को रख लीजिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सिर्फ इनका नहीं आयेगा, हमारे शासनकाल की योजना इसमें शामिल है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री बघेल लखेश्वर :- आप देवगुड़ी की बात कर रहे हैं। कोई लपका नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप इसे पढ़ लीजिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- सुनिए न। जब श्री अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुरू किया और 10 हजार से शुरू किया था। अजीत जोगी के जमाने में देवगुड़ी की मरम्मत की शुरूआत हुई। उसके पहले कभी था ही नहीं। आजादी के बाद से लेकर 2000 तक कभी देवगुड़ी की मरम्मत के लिए नहीं था। वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री स्व. श्री अजीत जोगी ने शुरू किया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सीनियर सदस्य हैं। मैंने तो कहा कि 98 प्रतिशत। ये लोग एकाक प्रतिशत में हैं। यदि ये पूरा प्रतिवेदन पढ़ लें तो वर्ष 2004 से हमारी पूरी योजनाएं हैं। मैंने कहा कि 98 प्रतिशत योजना का जो लाभ आप दे रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दी जा रही है। कभी सोच ही नहीं बनी कि हम प्राधिकरण का गठन करें। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग मध्य प्राधिकरण। आखिर किसके लिए? मैं बहुत सारी जयंती के कार्यक्रम में जाता हूं। मैंने उनको पूछा कि आप लोगों ने मंगल भवन का नाम कब सुना? तब उन्होंने बताया कि मंगल भवन तब बना है, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, तब मंगल भवन को हम लोगों ने जानना शुरू किया है। उसके पहले मंगल भवन को जानते ही नहीं थे। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे गांव में मोहल्ले में आप देखेंगे तो जो मंगल भवन बने हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। केवल इतना ही नहीं हमारे आदिवासी सांस्कृतिक दलों को जो सहायता राशि से एक प्रकार से प्रोत्साहन देना, वह विलुप्त न हो, बल्कि आगे अच्छा काम करे। उनका प्रदर्शन अच्छा हो, इसलिए उनको 10 हजार रूपये वाद्य यंत्र के लिए अनुदान दिया जाता है।

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी, 40 मिनट से ज्यादा हो गए। और कितना समय लेंगे?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं 10-15 मिनट में समाप्त कर देता हूं। इस विभाग का है। मैं 10-15 मिनट में समाप्त कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार। हमारा जो राज्योत्सव होता है, उस राज्योत्सव में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से 2 लाख रूपये का पुरस्कार उनको दिया जाता हैं। हमारे स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति पुरस्कार के नाम से 2 लाख रूपये का पुरस्कार है। जो भी महापुरूष इस समाज के रहे हैं, ऐसे लोगों को आज भी चिरस्थायी बनाना और चिरस्थायी बनाकर उन्हें उन योजनाओं के माध्यम से लोगों के बीच में उन्हें रख सकें, इसके लिए यह हमारा लगातार प्रयास है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय हेतु 26 करोड़ 93 लाख 60 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह, जिनको जय स्तंभ चौक में फांसी की सजा दी गई, ऐसे हमारे आदिवासी समाज के शहादत देने वाले, उनकी जो गाथा है, उस समाज में काम करने वाले ऐसे जो महापुरूष हुए हैं, उनकी गैलरी लगायी जायेगी। गैलरी लगाकर उसका अलग-अलग प्रदर्शन किया जायेगा। मंत्री जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं यदि मैं आदिवासी समाज के बारे में कहूं तो जितनी कला, संस्कृति और इतिहास है..।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय..।

श्री रामकुमार यादव :- आदिवासी के बात करने वाला मन आज पाव, पोबिया, खडिया और मांझी जाति प्रमाण-पत्र बनाये नहीं सकथे। अभी भी पाव, पोबिया और मांझी मन के जाति-प्रमाण पत्र नहीं बनथे, पता हे या नहीं। एक घंटा होगे।

श्री दलेश्वर साहू :- आप सम्मान की बात करते हो। आप वर्ष 2023-24 देख लीजिए..।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- अभी भी आदिवासी समाज के जाति प्रमाण पत्र नइ बनत हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अरे, प्रमाण पत्र आप ले लेना बाद में ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, शहीद वीर नारायण सिंह जी का स्थल मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, वहां मेला लगता है तो राशि कम पड़ती है, उस राशि को बढ़ाया जाए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जनजातीय समाजों की जो संस्कृति है, जो उनकी वीर गाथा है और जितने प्रकार के, हमारे हिंदुस्तान के अलग-अलग प्रदेशों में देखेंगे और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में देखेंगे तो वास्तव में जो शहादत देने वाले हैं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो आपकी जानकारी में हों, ऐसे लोगों की गाथा का यदि संकलन किया जाए और यदि उसको लिखने का काम किया जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे जनजातीय समाज का गौरव बहुत विराट स्वरूप में है, उसकी गौरव गाथा को लिखा जाए तो एक बड़ा ग्रंथ बन सकेगा । उसके लिए हम जो स्मारक और संग्रहालय बना रहे हैं उसमें रिसर्च का भी काम होना चाहिए और अलग-अलग क्षेत्रों में काम हुए हैं, हमारे जो सांस्कृतिक जत्था वाले कलाकार हैं, कर्मा है, ददरिया है, हमारे महापुरूषों की जीवनी के बारे में है, गायन में है, कथाओं में है, इन सबको चिर-स्थायी बनाने के लिए उसका रिसर्च करने की आवश्यकता है, लेखन करने की आवश्यकता है कि कितने प्रकार के हमारे आदिवासियों से संबंधित अमूल्य भंडार पड़ा हुआ है, उन सबको संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस करता हूं ।

सभापति महोदय, साथ ही हमारे जो उत्तर, दक्षिण और मध्य प्राधिकरण का गठन किया गया है, उसके लिए 25 से 50 करोड़ किया । सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के किसानों का जो पम्प चल रहा है, आज उसका बिल देने की आवश्यकता नहीं है, इसको किसने प्रारंभ किया ? भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह जी की सरकार ने इसको प्रारंभ किया था । जब हम गांवों की सड़कों की बात करते हैं तो लोग सी.सी. सड़क को जानते नहीं थे कि सी.सी. सड़क क्या है, सी.सी. सड़क कैसे बनाई जाती है ? लोग देखने के लिए आते थे । हमने अनुसूचित जाति, जनजाति प्राधिकरण बनाकर केवल वह पैसा उसी मोहल्ले में लग सकेगा, उस मोहल्ले में ही उसका कार्य हो सकेगा । आज अब आप किसी भी बस्ती में जाएंगे तो आप यह नहीं बता पाएंगे कि इस मोहल्ले में कौन निवास करते हैं । पहले लोगों को उपेक्षित रखा गया था, उनको छोड़कर रखा गया था लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है और मुख्य धारा में शामिल करने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है कि विकास में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, आप बढ़िया बोलत हौ, अच्छा बोलत हौ । लेकिन आप ये सुनिश्चित करौ कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र नइ बनना चाहिए अउ ओरिजिनल के भी नइ बन पात हे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, 50 परसेंट से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने की योजना । जिससे उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक समरता लाने हेतु 909 ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने के लक्ष्य को पूर्ण किए जाने हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हम विगत् वर्षों से देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह आदर्श ग्राम योजना बनाई गई, इससे उन गांवों में काफी परिवर्तन आया है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि एक बड़ा कार्य हुआ है । उन गांवों में एक साथ कहीं 40 लाख, कहीं 50 लाख, कहीं पर 1 करोड़, कहीं डेढ़ करोड़ की राशि मिलती है । चाहे उनके पानी के लिए हो, उनके लिए बिजली के खंभे की व्यवस्था हो, उनके आने-जाने के लिए सड़कों की व्यवस्था हो, ये जो व्यवस्था की जा रही है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक बड़ा कार्य प्रारंभ किया गया है । इसी प्रकार से हमारी 1224 आश्रम शालाएं हैं, उनमें छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 385 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिए 85 विकासखंड में 37 हजार छात्रों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 1 करोड़ 60 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है ताकि हम उनको PSC की परीक्षा दिलवा सकें, हम आने वाले समय में IAS, IPS, IRS की कोचिंग करा सकें, इसके लिए दिल्ली में भी एक कोचिंग सेंटर खोला गया है। वहां कोचिंग खोलने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों की पहचान करके दिल्ली भेजने का काम किया गया है, वहां पर उनको अनके प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, आज सभी प्रकार के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है, ये एक विशेष प्रयास हुआ है, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, समाप्त करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, युवा कैरियर निर्माण योजना है। अनुसूचित जाति, जनजाति के 750 व्यक्तियों के कैरियर निर्माण हेतु कोचिंग की व्यवस्था के लिए भी बजट में अलग से व्यवस्था की गई है। नियद नेल्लानार योजना है, उसमें इस योजना को शामिल किया गया है। उसको शामिल करने के बाद विभिन्न विभागों के 17 विभागों की कार्ययोजना बनाई गई। वहां पर बिजली की व्यवस्था नही है तो बिजली लगाएंगे, चलने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है तो सड़क बनाएंगे, यदि वहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है तो वहां स्कूल बनाएंगे, छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो छात्रावास बनाएंगे। ऐसे 17 विभागों को जोड़ करके दो योजना पीएम जनमन योजना और नियम नेल्लानार योजना बनाई गई है। इस योजना से वहां के वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो बच्चे नक्सल से प्रभावित रहे हैं, जिनके माता-पिता नक्सलवाद में खत्म

हो गए, जिनके पालने वाले कोई नही हैं, हम इन बच्चों की शिक्षा-दीक्षा कैसे कर सकें, हम उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर सकें, उसके लिए एक विशेष योजना बनाकर काम की जा रही है। आज हम उस योजना का लाभ देख रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, आप छात्रावास की बात कर रहे हैं, मैं नारायणपुर जिला के छोटेडोंगर की बात करना चाहती हूं, वहां बच्चे शौचालय में सोने का मजबूर हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, आज निश्चित रूप से उन बच्चों की देखरेख हो रही है, उनको केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं है, उनको पढ़ा लिखाकर अधिकारी बनाना है, उनको अपने पैरो पर खड़ा करना है, ये काम हमारे मंत्री जी के द्वारा की जा रही है, मैं उसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे 75 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं। वहां पर 12 वीं कक्षा तक CBSC पढ़ाई जा रही है और CBSC कोर्स लागू करने बाद, उसमें 6वीं से 12वीं कक्षा तक संचालित हो रही हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं एकलव्य विद्यालय की ही बात कर रही हूं। इसको कृपा करके संज्ञान में लेवें।

सभापति महोदय :- आप मंत्री जी को बताईए, वे अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप अपने समय में बात रखिएगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरा समय नहीं आएगा इसलिए मैं वही बता रही हूं। वे बच्चे शौचालय में सोने को मजबूर हैं। इसलिए उसमें कृपा करके ध्यानाकर्षित कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- ऐ कुछ भी बोलत हे, हमन सुनत रबो। कुछ भी बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- भाई, कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इस प्रतिवेदन में लिखा हुआ है, आप कुछ भी मत बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- अइसे बात नई हे।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आप प्रतिशत को भी देखिए। कितना प्रतिशत प्रोग्रेस हुआ है, उसको भी देखिए। आपकी कोई भी योजना 40 प्रतिशत से ज्यादा सफल नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार जी, आप भैंस चराने जाईए।

श्री रामकुमार यादव :- मैं भैंस भी चराहूं तहूं ला चराहूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप नई चरा पा रहे हो। यदि चराते तो इसको पढ़ते, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो। आपके पास भी पुस्तक है थोड़ा निकालकर पढ़िए। सभापति महोदय, आप मेरा समय नियंत्रित नहीं करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ए सदन ला असत्य मत बोलो न भाई।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए। आप अपने समय में अपनी बात रखिएगा। धरमलाल जी, समाप्त करिए। अभी बहुत सारे वक्ता हैं, उनको बोलना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसके लिए 420 बच्चे को प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में 25860 पद स्वीकृत हुई हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बहुत बड़ी योजना है। इसके माध्यम से जो कायाकल्प हो रहा है, इस बात की चिंता आज हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में नि:शुल्क अध्ययन की सुविधा दी जा रही है। मैं तो इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि सामान्यत: हम लोग इस प्रतिवेदन को पढ़ते नहीं हैं। इसको पढ़ने से हम लोग अपने क्षेत्र में इन योजनाओं का लाभ कैसे दिलवा सकते हैं। यदि आप इनका लाभ दिलवायेंगे तो इससे आपके क्षेत्र को लाभ होगा। यह सरकार की योजना है। यदि हम केवल सरकार की बुराई और आलोचना करेंगे तो उससे हम अपने क्षेत्र का भला नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस प्रतिवेदन को पढ़ेंगे और इन योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र में दिलवायेंगे तो इसका लाभ मिलेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, सरकार की योजनाओं का सही समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि यह योजना वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ हुई है। वर्ष 2009-2010 में किसकी सरकार थी ? मैं 7-8 योजनाओं की बात कर सकता हूं। ये सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं और इसलिए इनके पल्ले नहीं पड़ रही हैं। (मेजों की थपथपाहट) यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। वर्ष 2012-2013 में हमारे नियम संशोधित हुए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ए देश ला हमन आजाद कराए हन। कांग्रेस पार्टी हा आजाद कराए हे, तब तुमन नेता बने हो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- कांग्रेस का कुछ नहीं है। आप नाम भर बदलते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन भाजपा वाले मन ए जेवनी ला कटाए होहूं तो बताओ।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, यह ठीक परंपरा नहीं है। आप सीधे बात करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इस चक्कर में क्यों उलझते हैं कि वह कब की योजना है ? यदि आपकी भी योजना अच्छी है और जनता के हित में है तो उसको यह सरकार लागू कर रही है, परंतु जो योजना हमारी सरकार की है, जैसे-शाकम्बरी योजना के लिए आप कैसे क्रेडिट लेंगे और क्यों लेंगे। आप यह बतायइये। हम अच्छी चीजों को स्वीकार करते हैं और आपकी जो बुराइयां थीं, उनको हमने त्याग दिया है।

श्री लखेश्वर बघेल :- क्रेडिट तो वह ले रहे हैं। वह तो बोल रहे हैं कि सारी योजनाएं हमारी हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि 98 प्रतिशत और 2 प्रतिशत छोड़कर रखा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- केवल नाम चेंज हुआ है, बाकी सभी हमारी योजनाएं हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारी योजना है, मतलब क्या आप कोई पेटेण्ट-वेटेण्ट कराकर आये हैं?

श्री लखेश्वर बघेल :- नहीं, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि यह हमारी योजना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, यह पेटेण्ट थोड़ी न होता है। यह अच्छी योजना है तो हम इसको लागू कर रहे हैं और खराब योजनाओं को हमने रिजेक्ट कर दिया।

श्री लखेश्वर बघेल :- नहीं, यह गलत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ राज्य अंत:व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- भाई, इसी बात को तो समझाना है कि किसी का पेटेण्ट थोड़ी न है। न आप इस सरकार में रहे बर कोई रजिस्ट्री कराके आए हो। 5 साल तुमन रह हूं। हो सकथे कि 5 साल बाद हमन आ जबो। आप कोई रजिस्ट्री थोड़ी न कराए हो। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- जो सत्य है, उसको बोलिये न। हम लोग जान रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसे किसानों को बीज देने का काम बीज निगम का था। अब रेडी टू ईट के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिये। हम किसको रिजेक्ट किये हैं ? बाकी तो बीज बांटने का काम उसको करना ही है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह तो केवल बेचने का काम किये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जो अभी दे रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। आप जो दे रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार दिखता है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 8 हजार करोड़ रूपये के धान ला सेन्ट्रल गवर्नमेंट हा नहीं लेथे, आप तेखर बारे में बताओ। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- धरमलाल जी, आप समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मेरा समय तो इन लोगों ने ले लिया, उस समय को आप निकालिये। माननीय सभापति महोदय, अंत:व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम। हमारी अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली योजना, गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, टर्म लोन योजना, जनरल लोन योजना, नई स्वर्णिमा महिला योजना, स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत मूल योजना, स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना, सेनेटरी मार्ट योजना, शिक्षा ऋण योजना संचालित हैं। इसके माध्यम

से उन लोगों को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है और सब्सिडी देकर उनको अपने पैरों में खड़ा करने का काम हम कर रहे हैं। आदिवासी गौरव दिवस।

समय :
1.48 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार रीहिस हे तो आदिवासी समाज के संस्कृति के यहां नाच-गाना होए। ए मन के जमाना में हीरोइन मन आथे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरे 55 मिनट हो गये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 55 मिनट में से 20 मिनट तो इन लोगों ने ले लिया। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये। दिलीप लहरिया जी, आप बोलिये। हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरूआत इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा की गई है। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को बधाई देता हूं कि जनजाति समाज के गौरव को कैसे बढ़ाया जाना है, उसके लिए यह जनजाति गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। निश्चित रूप से आज व्यापक मात्रा में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस वर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाने का कार्यक्रम तय किया गया। केवल हमारी राज्य सरकार के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारे जो अलग-अलग संस्थान हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, हमारे स्कूलों में छात्रों के द्वारा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया तथा छात्रावासों में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस प्रकार से हमारे जनजाति समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया गया है। जिस प्रकार से उनकी योजना हमारे आदिवासी समाज के महापुरूष तथा उनका एक भरा-पूरा इतिहास है, उसको लेकर जनजाति गौरव दिवस मनाने की योजना बनाई गई है। अंत में मैं मंत्री जी के ध्यान में केवल एक बात लाना चाहता हूं कि एक तो मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने हम विधायकों को मण्डी बोर्ड से खूब पैसे दिये हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- हमको नहीं दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी ने सबको दिया है। किसी को कम पैसा, किसी को ज्यादा पैसा मिला है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमन ला एको रूपये नई मिले हे। हमको मण्डी बोर्ड से एक रूपये नहीं मिला है। आपसे निवेदन है कि हमको पैसा दिलवा दीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, जो बहुत सारे अपेक्षित गांव हैं, उसको आपने जोड़ने का काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बधाई बहुत हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट नहीं हुआ है। केवल एक मिनट। मैं मंत्री जी का ध्यान लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त समय हो गया। आपने बहुत ध्यान दे दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, केवल इसमें ध्यान लाने को है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ध्यान ले लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के मार्च में जो हमारा बजट आया और जो बजट प्रावधान किया गया था, उसमें आपने अनुसूचित जाति उप योजना में 59 प्रतिशत खर्चा किया है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 प्रतिशत खर्चा किया है। यह आपका बजट नहीं है, यह बजट पहले आ गया था। यह वर्ष 2022-2023 का बजट है। यह लोग पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार को मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के बजाय कुछ काम करना चाहिए था। उनकी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग में सिर्फ 10 प्रतिशत खर्च किया है। यह लोग पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। यह लोग मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, हमर सरकार हा पिछड़ा वर्ग ला 27 प्रतिशत आरक्षण देहे के काम करे हे, ओ फाईल ला तुमन दबा के बइठे हवओ। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के लिए चिल्लाते रहे हैं, लेकिन उनको आरक्षण मिला ही नहीं है। अभी जिला पंचायत में उनका आरक्षण जीरो रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- हमार सरकार पिछड़ा वर्ग ला 27 प्रतिशत आरक्षण दे हे। आप मन का बात करत हौं? अगर आप मन के हिम्मत हे ता आप मन 27 प्रतिशत आरक्षण देवौ। जे फाईल ला तुमन अलमारी मा दबा के रखे हौ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा (व्यवधान) 56 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत से 55 प्रतिशत में लाया है, मैं इसके लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, इसी प्रकार से मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बहुत ध्यान हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावास की संख्या ...।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी।

श्री रामकुमार यादव :- कौशिक जी, तुंहर ज्ञान ला लेहे के हमर मा क्षमता नई हे, न सरकार ला क्षमता नई हे, बबा। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- दिलीप जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति छात्रावासों की संख्या है, उसमें पिछड़ा वर्ग छात्रावासों संख्या केवल 08 है। यह चिंता का विषय है। जो पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की संख्या 08 है, आपको उसको बढ़ाना चाहिए और उसकी संख्या बढ़ा कर जीरो के स्तर पर लाना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो कार्य उन्होंने किया है और जो बजट में लाया है, मैं उनके अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। चलिये, श्री दिलीप लहरिया जी।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13 एवं 54 के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिम जाति कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसे एस.टी., एस.सी. एवं ओ.बी.सी. के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रदेश में इस विभाग के अंतर्गत ज्यादा आबादी आती है। मैं छात्रावास से अपनी बात की शुरूआत कर रहा हूं। बिलासपुर जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खमतरई, बिलासपुर की स्थापना के बाद आज पर्यन्त तक उसके लिए मूल भवन का निर्माण नहीं किया गया है। छात्रावास किसी दूसरे खण्डहर पड़ी भवन में संचालित हो रही है। मूल भवन के अभाव में वहां छात्रों को रहना पड़ता है। भवन कभी भी गिर सकता है एवं धस सकता है। इसके लिए इस बजट में नया भवन निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है इसलिए मैं इस मांग संख्या के विरोध में खड़ा हुआ हूं। शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सीपत रोड, बिलासपुर का हाल भी बेहाल है। वहां पर का छात्रावास भवन लगभग 50 साल पुराना व अत्यंत जर्जर है। वहां छत से पानी टपक रहा है। वहां पर छात्रों को हमेशा खतरा बना रहता है। वहां जिले से पूरे 80 प्रतिशत छात्र रहते हैं। चूंकि यह जिला मुख्यालय का छात्रावास है, उसके लिए भी नये भवन की आवश्यकता है। इसमें उसका उल्लेख नहीं होने के कारण मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिए नवीन भवन निर्माण कराया जाये। बिलासपुर जिला मुख्यालय में संचालित शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बिलासपुर में समस्याएं व्याप्त हैं। यहां पर कम सीट होने के कारण छात्राओं को प्रवेश से वंचित होना पड़ता है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालिकाओं का भी प्रवेश नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, यहां लगभग 70 सीट स्वीकृत है, जिसमें माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इसे

100 सीट किया जाये, जिससे गांव की गरीब परिवार की बेटी शहर में रहकर अध्ययन कर सके । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो छात्र भोजन सहाय योजना है, जिसमें पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत् विद्यार्थियों को भोजन की आपूर्ति के लिये छात्र भोजन सहाय योजना संचालित है, जिसमें वर्ष 2018 से इस योजना की राशि 300 रूपये प्रति छात्र था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो उसे वृद्धि करके 1200 किया गया और वह आज भी 1200 रूपये है । छात्राओं में गुणवत्ताविहीन भोजन ग्रहण करने छात्र-छात्राओं को मजबूर होना पड़ता है, अत: बच्चे शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस राशि को 1200 से बढ़ाकर 3000 रूपये करने की कृपा करें, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त भोजन मिल सके । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस भोजन सहाय योजना में जो राशि का भुगतान विलंब से किया जाता है, जो गरीब परिवार अत्यन्त कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, यह राशि समय-समय पर 1 से 5 तारीख तक मिलना चाहिये, ताकि राशन-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों को 12 महीना पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन छात्रावास का जो संचालन है, मात्र 10 महीने का है । इसमें दो महीने विद्यार्थी कहां रहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इससे विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित भी होता है, कोई गांव में जाते हैं, कोई रहते हैं, जो भुगतान होना चाहिये, छात्रवृत्ति भी नहीं दिया जाता है, इसलिये पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों का संचालन 12 महीने किये जायें, मैं आपके माध्यम से इसके लिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्ययनरत् छात्र-छात्रायें अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुये निरंतर अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत दु:ख का विषय है कि इस वित्तीय वर्ष में एक भी नवीन क्रीड़ा परिसर की स्थापना के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, मैं इसलिये इस मांग संख्या के विरोध में खड़ा हुआ हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में भी नवीन क्रीड़ा परिसर की स्थापना किया जाये, ताकि बच्चे अध्ययन के साथ-साथ अपने खेल प्रतिभा को विकसित कर सके । अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बहुत से लोग पलायन भी करते हैं, रोजगार की तलाश करते हैं, इसके कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, इसलिये नवीन छात्रावास की भी आवश्यकता है, जिसमें ग्राम पंचायत धनगवां में एक प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास की जरूरत है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर समस्या भी है और हम सभी विधायकों के लिये चिन्ता का भी विषय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो अनुसूचित जाति प्राधिकरण हैं, इसमें आपके द्वारा 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । सदन में सभी विधायक भी हैं, मैं यह कहना चाहूँगा कि 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में इस पैसा का प्रयोग किया जाये यानी 25 करोड़ रूपया अनुसूचित जाति बाहुल्य के लिये हो और 25 करोड़ रूपये आप कहीं भी ले जा सकते हैं । अध्यक्ष

महोदय, चूँकि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का यह पैसा है, इसमें मात्र 30-30 लाख रूपये हम विधायकों को दिया गया है, इसमें 6 विधायक कांग्रेसी हैं और आपके तरफ जो 4 विधायक हैं, उनको 1-1 करोड़ दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 80 लाख ही मात्र दिया गया है, लेकिन बाकी का जो पैसा है, 40-42 करोड़ रूपया कहां गया ? मैं इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि...।

श्री रामकुमार यादव :- यही ला सब के साथ अऊ सब के विकास कथे ।

समय :-
2:00 बजे

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । इसमें एक प्रावधान किया जाये, एक घोषणा की जाये कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्राधिकरण का जो पैसा है, वह उस वर्ग के विधायकों को कम से कम 50 प्रतिशत राशि दी जाये । आपने शत-प्रतिशत नहीं किया है, यदि आप शत-प्रतिशत करेंगे तो हम लोगों को 5-5 करोड़ रूपए मिलेंगे, (10*5) 50 करोड़ मिलेगा, लेकिन आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि कम से कम 50 प्रतिशत राशि देना सुनिश्चित करें, ताकि हमारे सभी विधायक चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों पक्ष के विधायकों को ढाई-ढाई करोड़ रूपए मिल सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि एक तीर, एक कमान या एक संविधान एक समान है तो विधायक, विधायक एक समान कहां हुआ । आप बताईए, आपने 30-30 लाख रूपए हमें दिया, 1-1 करोड़ रूपए अपने पक्ष के विधायकों को दिया। यह तो द्वेष भावना की बात हुई । हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था, मैंने भी पता किया है, हमारे और आपके 15 विधायक थे तो हमारे भूपेश बघेल जी के द्वारा सबको समान रूप से राशि दी जाती थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- डहरिया जी, एक मिनट । आपका गुस्सा जायज है । मैं वहीं आपके थोड़ा आगे बैठता था ।

श्री दिलीप लहरिया :- आपको पूरा शत-प्रतिशत मिलता होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं किस्सा बता रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं जानथव कि हमर सरकार में एकरे काम तो ज्यादा पास होवय । कहिहौं त मैं 10 ठी बता देहौं । हमरे सरकार में तुंहर का पास होए रिहीसे । आईटीआई होए रिहीसे या नहीं होए रिहीसे । पॉलीटेक्निक कॉलेज होए रिहीसे या नहीं होए रिहीसे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ नहीं हुआ था । मैं चौबे जी को मंडी बोर्ड के लिए कागज दिया था, मुझे उन्होंने कहा कि आप 1 करोड़ का प्रस्ताव दे दो । मैंने एक करोड़ का प्रस्ताव दिया । वह 1 करोड़ कहां है, वह आजतक पता नहीं चला और मैं खोजते-खोजते यहां आकर बैठ गया, लेकिन वह एक करोड़ मुझे नहीं दिखा। आप क्या बात करते हो ? आप चिल्लाओगे तो पैसा कहां मिलेगा ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप अच्छा बोल रहे हैं, अब अपनी बात समाप्त करिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा 50 करोड़ रूपए का प्रावधान गिरौधपुरी धाम के लिए किया गया है । इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद, लेकिन इसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे क्षेत्र में कुटेलाधाम है, जिला बिलासपुर में बोरसड़ा धाम है, जिला रायपुर में खपरीपुरी धाम है, खड़वापुरी धाम है । बेमेतरा में चटवापुरी धाम है, बलौदाबाजार में खड़वापुरी धाम है, बेमेतरा में चक्रवाय धाम है, मुंगेली में लालपुर धाम है, जिला बिलासपुर में उमरियापाली धाम है, जिला मुंगेली में अमरटापू धाम है, जिला मुंगेली में औराबांधा धाम है, जिला जांजगीर-चांपा में पचरीधाम है, जिला कोरबा में पहाड़ीपुरी धाम है, जिला रायपुर में जोगी कुआं बैकुण्ठधाम है, जिला रायपुर में बाराडेरा धाम है, जिला गरियाबंद में संतोषपुरी धाम है, जिला बलौदाबाजार में तेलासीपुरी धाम है । इनके रख-रखाव के लिए एक प्रावधान कर दिया जाये, सभी जगह परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी के अनुयायीं हैं और सब जगह पूजा-पाठ एवं राशि की व्यवस्था हो जाये, ताकि गिरौधपुरी धाम के बाद सब धाम अच्छे से संचालित हों ।

माननीय अध्यक्ष जी, अनुसंधान एवं विकास में आम जनता एवं किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । इस क्षेत्र में कैम्प लगाने की भी आवश्यकता है । स्वाईल टैस्टिंग नहीं हो पा रही है इसलिए किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत हो रही है । छत्तीसगढ़ में मुरूम जमीन का भी बड़ा हिस्सा है, जिसमें हार्टीकल्चर, ड्रीप एरीगेशन, पाली हाऊस की व्यवस्था होनी चाहिए, वह भी नहीं हो पा रही है । इससे हमारे किसान भाई वंचित हो रहे हैं । जमीन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, मेड़ में पेड़ लगाना, मशरूम की खेती होना, यहां पर तीसरी फसल भी नहीं मिल पा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, इसके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए । उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में 1833 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 725 पद रिक्त हैं । इसको भी भरा जाये, यह मेरा विशेष निवेदन है । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । आज तो होली का पर्व है। मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ कहना चाहूंगा -

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री दिलीप लहरिया :- "डबल इंजन की सरकार ने कमाल कर दिया

गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जाति प्रमाण-पत्र में सरलीकरण होना चाहिए और हर महीने छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। छात्रावासों मे रख-रखाव होना चाहिए। कई जगह ऐसी भी हैं, जहां बच्चे अभी-भी शौचालय के आस पास सो रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें आयी हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं कि -

"बेशक उठाओ उंगली मेरे विचार पर
बेशक उठाओं उंगली मेरे किरदार पर जनाब
मगर शर्त यही है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए।" (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी नेता और मंत्री, श्री रामविचार नेताम जी के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनके नेतृत्व में यह विभाग आने वाले वर्ष में अपनी व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा और आदिवासी समाज और किसानों की भलाई के काम को भी करेगा। यह प्रावधान पहले भी थे और अभी इनके यहां तीन बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है। उसमें वर्ष 2025-26 के बजट में 73 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान हुआ है। सरगुजा क्षेत्र के लिये भी 50 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान हुआ है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास के लिये भी 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिये भी 50 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान है। इस तरह से इन चारों प्राधिकरणों के लिये आपने 224 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया है। इसके माध्यम से इन क्षेत्र से संबंधित प्राधिकरण के गांवों में बहुत से विकास के काम होंगे। आपने आदिवासी समाज के होनहार बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिये भी बहुत चिंता की है।

समय:
2.08 बजे

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

आपने जवाहर उत्कर्ष योजना लांच की है। यह पहले से भी चल रही है। आपने प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिये 15 करोड़ 70 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया है, इससे निश्चित रूप से गरीब बच्चे, जिनमें क्षमता है, योग्यता है, वे उस स्कूल में जायेंगे। आपने बच्चों के लिये विशेष कोचिंग केंद्र संचालित करने का प्रावधान किया है, इस योजना के तहत लगभग 35 हजार छात्र-छात्राओं को लाभ हो रहा है, जिसके लिये आपने वर्ष 2025-26 के बजट में 1 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया है। आपने बजट में बहुत से हॉस्टल की भी व्यवस्था की है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हॉस्टल के निरीक्षण के लिये एक सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए। आप हॉस्टल की सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दे। हॉस्टल में हमारे बच्चों को मूलभूत सुविधा के अभाव में कोई तकलीफ न हो, उसके लिये आपको जो भी मद की व्यवस्था करना हो, आप उसकी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। हमारे यहां बहुत पहले एक कलेक्टर थे, जो अभी आपके सचिव हैं। उन्होंने उड़ान के नाम से बच्चों को पढ़ाने-लिखाने और उनको आगे बढ़ाने के लिये प्रयोग किया था और उसी सिलसिले में यह प्रयोग हुआ है। साहब, यदि हम अपने बच्चों को पढ़ायेंगे लिखायेंगे तो निश्चित रूप से उस समाज में पढ़े-लिखे लोग होंगे

और वह अपने समाज को जागृत करेंगे, समाज का नेतृत्व करेंगे और समाज की जागरूकता के लिये काम भी करेंगे। मैं इसमें आपसे एक छोटी-सी विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो बैगा बच्चे हैं, जो प्रिवेन्टिव ट्राइब्स के बच्चे हैं, वे बहुत जरूरतमंद लोग हैं, वे बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल पाती है। लोग उनके परिवार के लोगों के साथ छल करके उनके ही अधिकार को छीन भी लेते हैं। मैंने अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में ऐसा उदाहरण देखा है। मैं यह चाहता हूं कि जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं और आजकल बच्चियां भी बहुत पढ़ी-लिखी है । आप उनको बिना कोई साक्षात्कार या बिना प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित किए टीचर या अन्य किसी विभाग में नौकरी दें। चाहे वह बिहोर हो, पण्डों हों, बैगा हो और भी जो जनजाति में आते हैं उनको आप इस तरह से नौकरी में लाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2018 से लागू की गई है। इस योजना का लाभ कैसे-कैसे मिलता है, यह सब जानते हैं । अभी माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक जी ने बता भी दिया है। वर्ष 2024 में प्रदेश में धान उपार्जन के लिए 25 लाख 52 हजार 589 पंजीकृत किसानों द्वारा धान फसल हेतु 34 लाख 60 हजार 466 हेक्टेयर का पंजीयन कराया गया था। इसके लिए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। आपने इसके लिए आगे भी प्रावधान किया है। मैं मिलेट्स मिशन के बारे में कहना चाहूंगा कि यह बात सही है कि जब प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तब वर्ष 2022 में यह योजना प्रारंभ की गई थी। मैं उनके इस प्रयास की सराहना भी करता हूँ। भारत सरकार भी इस योजना के लिए बहुत ही तत्पर है और इसीलिए कोदो, कुटकी और रागी उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है। भारत सरकार द्वारा पहले से ही रागी को श्री अन्न कहकर, एम.एस.पी. वगैरह और समर्थन मूल्य देने का काम कर रही है। तो इसमें वर्ष 2023-2024 में 1 लाख 36 हजार 210 क्विंटल खरीदी के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक बहुत कम मात्रा में खरीदी हुई है। आपको इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारे किसान जो कोदो, कुटकी, रागी और अन्य मिलेट्स के उत्पादों को पैदा कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जब उनको इन उत्पादों के माध्यम से पैसा मिलेगा तो उनकी इस खेती के लिए रूचि होगी और जब उनकी रूचि होगी तो निश्चित रूप से आजकल आम आदमी मिलेट्स खाना पसंद कर रहे हैं, उनको वह उपलब्ध हो सकेगा। प्रदेश में कुल 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें 82 प्रतिशत कृषक लघु और सीमांत श्रेणी के हैं और यह सब वर्षा पर आधारित खेती करते हैं। जिसके कारण लघु और सीमांत कृषकों को स्वयं के सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005-2006 में शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई थी, उस समय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। यह योजना बहुत कारगर साबित हुई। इस योजना से अनेक लोग लाभांवित हुए। इसमें 75 प्रतिशत तक के छूट 5 हार्स पॉवर तक डीजल विद्युत केरोसीन, ओपनवेल,

सबमर्सिबल पम्प ईकाई लागत का 75 प्रतिशत और कूप निर्माण पर 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है। इस योजना की महत्ता को लोगों ने समझा। पिछली सरकार में भी यह योजना लागू थी, आज भी यह योजना लागू है और आगे भी इस योजना को लागू रखना चाहिए। उसके लिए आपने 5 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। यहां राज्य की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उसके आधारित उद्योगों पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र 140 लाख हेक्टेयर के 35 प्रतिशत भाग में खेती होती है। राज्य में कृषि विकास को प्राथमिकता देते हुए कृषकों की आर्थिक समृद्धि हेतु सरकार 10 से 15 प्रतिशत फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयासररत है। दलहन फसल के बीज उत्पादन पर 1 हजार रूपये क्विंटल और तिलहन बीज के उत्पादन पर 1 हजार रूपये क्विंटल अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज वितरण अनुदान पर अनुदान घटक को शामिल करते हुए कृषक समग्र विकास योजना अंतर्गत कुल राशि 150 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। सबमिशन ऑन शीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत 25 करोड़ रूपया तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 90 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1220 मिलीमीटर की पर्याप्त बारिश होती है, उसके बाद भी केवल 33 प्रतिशत हिस्से में ही हम सिंचाई कर पाते हैं इसलिए नदी-नालों में उपलब्ध पानी को आर्थिक रूप से कमजोर लघु, सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान पर आधा हार्स पॉवर से लेकर 5 हार्स पॉवर तक का सिंचाई पम्प राज्य पोषित शाकम्भरी योजना से उपलब्ध हो रहा है । वर्ष 2025-26 के लिए स्प्रिंकलर ड्रिप स्थापित किये जाने हेतु 80 करोड़ रुपये का आपने बजट में प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसलों की सिंचाई मात्रा 33 प्रतिशत रकबे में होती है और 64 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित होती है। इसी अनियमित मौसम के कारण फसलों को नुकसान होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू की गई है। इसमें धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं रबी मौसम हेतु चना, गेहूं असिंचित, राई, सरसों, अलसी की फसलों को भी बीमा के आवरण में लिया गया है। कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजनान्तर्गत ट्रेक्टर, पावर ट्रेलर, रोटावेयर, रीपर आदि यंत्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लघु सीमांत तथा महिला कृषकों को 50 प्रतिशत और अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान पर देने का काम कर रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत भी वर्ष 2023 में 24 लाख 73 हजार 762 किसानों को, खरीफ वर्ष 2024 में 25 लाख 52 हजार 589 किसानों को कुल 25 हजार 289 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है और इस वर्ष 2025-26 के बजट में भी 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बीज निगम के काम के संबंध में भी पहले बहुत सारी शिकायतें मिली हुई हैं। बीज निगम में कौन सप्लाई करता है, कहां से सप्लाई होता था, ऐसी बहुत शिकायतें आ रही थीं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। बीज निगम में उच्च क्वालिटी के बीजों का वितरण हो ताकि हमारे किसान जब बीज

लेकर के जायें तो उनको खेत में धोखा नहीं मिलना चाहिए और उनकी फसल की पैदावार जरूर हो। बीज निगम में रेडी टू ईट का भी मामला चला गया था। रेडी टू ईट से उनको मुक्त कराईये। आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए अच्छे बीज लाने का काम करियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, हमर बहुत सीनियर नेता जी हवय, हमन ओकर बहुत आदर करथन और हमन व्यक्तिगत रूप से करते रहबो। लेकिन ओकर स्थिति देखत हवं, ओकर सुनवाईया कोई नई हय। एक जने रहिस, ते उठ के चल दिहिस।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मंडी बोर्ड के बारे में भी बोला गया है। मंडी बोर्ड किसानों की एक बहुत मजबूत संस्था है जो आर्थिक रूप से भी मजबूत है। मंडी बोर्ड में आपने गांव में किसान कुटीर बनाने का काम किया है। आपने छोटे-छोटे पुल-पुलियों को भी बनाने का काम किया है जिसमें गाड़ी का आवागमन सुगम हो सके। जो गांव में बहुत जरूरी है, जहां दूसरे किसी मद से सी.सी. रोड नहीं बन रही है, वह भी बनाने का काम आपने किया है। यह बहुत ही अच्छा काम है। आप इसका दायरा भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मंडी बोर्ड में जो पैसा है वह किसान और गांव के लोगों की भलाई के लिए है। उस पैसा का आप जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ही आपके विभाग का नाम भी होगा, उतना ही वह विभाग गांव के लोगों के बीच में डिमांड में रहेगा, popularity gain करेगा। उद्यानिकी विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। ग्रीष्मकालीन धान के कारण पूरे प्रदेश में वॉटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। उसके कारण धान की पैदावार जो होना है, जितने किसानों को बोना है वह तो बो ही लेते हैं। लेकिन उनके पानी के उपयोग के कारण पेयजल की समस्या का गंभीर संकट व्याप्त हो चुका है, अभी भी व्याप्त है। इसके लिए आपको एक मुहिम चलाना चाहिए, सरकार से एक आदेश जारी करना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन धान को लेने पर हम प्रतिबंध लगायेंगे क्योंकि ग्रीष्मकालीन धान में 1-2 किलो धान के लिये 400-500 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है और हमारा वॉटर लेवल वैसे ही गिरा हुआ है, यदि और गिर गया तो पीने के पानी के लाले पड़ जायेंगे इसलिये आप ग्रीष्मकालीन धान के बदले में कोई दूसरी फसल जो आपने बताया है, मैं उसको पढ़कर बता भी देता हूं कि आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं । दलहन-तिलहन और अन्य कम पानी की जो फसल है उसको लेने के लिये आप गांव-गांव में किसान गोष्ठी कराईये । किसानों के बीच में आपके अधिकारी वहां हैं, उनको बोलिए कि किसानों को बुलायें । 10-20 ग्राम पंचायत के एक क्लस्टर में बुलायें, उनको समझाएं, बतायें । अपनी प्रदर्शनी दिखायें, अपना कुछ कागज वगैरह दें और उनसे निवेदन करें कि यह सब काम करिये और इसमें आपको हार्टिकल्चर मदद करेगा । हम आपको पौधे देंगे । हम आपको बीज-फल सब उपलब्ध करायेंगे ताकि जैसे आप फल क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, आप पुष्प क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं । आप मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये काम कर रहे हैं, उद्यानिकी यांत्रिकीकरण का काम कर रहे हैं, पॉवर ट्रेलर वगैरह दे रहे हैं तो यह बहुत सी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं । आप नेशनल मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्टी (National mission

of Agro forestry) को देना चाहते हैं । आपका विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सुविधा भी दे रहा है । आपने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन का भी प्रावधान किया होगा तो यह जो फॉरेस्टी है, मसाले की खेती के लिये उद्यानिकी विभाग का काम बहुत अच्छा है । उद्यानिकी विभाग इस प्रदेश में क्रांति ला सकता है, हम परम्परागत खेती तो कर रहे हैं । धान, गेहूं, चना की खेती तो होती ही है और उसके लिये आप जो-जो नये नित साधन उपलब्ध करा रहे हैं, उसको हम स्वीकार कर भी रहे हैं लेकिन हमको केश क्रॉप लेने की ओर ध्यान देना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, कवर्धा जिले में केश क्रॉप में देखिये कि दो गन्ने का शक्कर का कारखाना खुला । वहां के लोगों की आर्थिक हालत बहुत सुधर गयी तो यह केश क्रॉप है, शक्कर कारखाना वाला नहीं लेगा तो गुड़ फैक्ट्री वाला लेगा लेकिन उसको केश मिलता है, वह पैसा लेकर आता है तो केश क्रॉप की तरफ इसको परिवर्तित करने के लिये किसान गोष्ठियां होनी चाहिए, बड़े-बड़े सेमिनार होने चाहिए। वहां कोई नेता जायें तो उनको भी इस बात को बोलना चाहिए और हमें एक-तरफ पानी भी बचाना है और दूसरी तरफ फसल लेनी है । हम मंदसौर में जाते हैं तो वहां क्या है, हम मंदसौर जाते हैं तो सड़क के ऊपर वहां का यह बड़ा-बड़ा बोल्ड लहसून का दाना पूरा बिकते हुए दिखायी देता है । नासिक से क्या होता है ? अगर 3 दिन नासिक से कोई प्याज न आये तो यहां 20 रूपये का प्याज 80 रूपये हो जाता है तो क्या हम प्याज पैदा नहीं कर सकते ? छत्तीसगढ़ की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर कोई भी फसल ली जा सकती है ।

माननीय सभापति महोदय, जशपुर में चाय का प्रेक्टिकल हुआ था । वहां चाय लगाया गया था । वह चाय का रेस्पांस भी अच्छा है और प्रोडक्शन भी ठीक है तो हम लोग जब उंटी जाते हैं तो वाह क्या चाय बागान है, दार्जिलिंग गये तो वाह क्या चाय बागान है, माननीय मंत्री जी आप जशपुर, रायगढ़, सरगुजा में, पठारी क्षेत्रों में जहां भी हो चाय को बढ़ाने के लिये एक मुहिम चलाईये । चाय की पैदावार, मसाले की पैदावार, लहसून की खेती । आप सर्च करा लीजिये कि कौन से एरिया में लहसून होगा वहां के किसानों को बढ़ाईये । कहां गन्ना होगा, वहां बढ़ाईये । यह फसल लाईये तभी इससे दो फायदे होंगे, धान की खेती से लोगों का थोड़ा चूंकि अभी 2500 रूपये और 3100 रूपये के कारण धान तो अभी सबसे एट्रेक्टिव आईटम बना हुआ है लेकिन उसमें पानी का खर्चा और उसमें दुनियाभर की चीजें हैं तो अगर हम मसाले की खेती करेंगे और हमें उससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो लोग दूसरी खेती की ओर मुड़ेंगे इसलिये आपको इसके लिये मुहिम चलाना चाहिए और मुहिम के लिये कोई पैसा भी नहीं लगेगा । आपका इतना बड़ा अमला है, आप मण्डी में कार्यक्रम करवा लीजिये, आप मण्डी बोर्ड को बोलिये, आप बीज निगम को बोलिये, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलिये । ए.पी.ओ. और सी.ओ. लोगों को बोलिये, जो वहां पर बैठते हैं और सब बैठकर किसानों में अगर जागरूकता चूंकि मुझे याद है कि जब भोरमदेव में गन्ने की फैक्ट्री लगी थी, उसके 6 महीने पहले हम लोग हर गांव-गांव में किसानों की गोष्ठी लेकर के

उनसे यह निवेदन करने गये थे कि आप लोग गन्ने की फसल ज्यादा बोवाई करो, उसको ज्यादा ओनारी कराओ ताकि जब फसल आये तो गन्ने की कारखाने में गन्ने की सप्लाई हो सके और आज ये हाल है कि पूरे कवर्धा जिले में चारो तरफ..।

सभापति महोदय :- अभी ढाई बजे समाप्त करना है।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, मैं खत्म ही कर रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका आदेश सरआंखों पर है। सभापति जी, मैं तो हमेशा आपका आदेश मानता हूं। गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिए, मसाले की खेती को बढ़ाने के लिए लहसुन की खेती को बढ़ाने के लिए, प्याज की खेती को बढ़ाने के लिए, अंडे की भी खेती होती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, मछली की भी खेती होती है। डिपार्टमेंट अभी आपका नहीं है, पर किसान तो वे भी हैं। हैदराबाद में मछली एक डेढ़ फीट पानी के अंदर मछली पैदा करते हैं और इतनी पैदा करते हैं कि उतनी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे यहां बड़े-बड़े तालाब में भी नहीं होता है। हैदराबाद से अगर अंडा आना बंद हो जाए तो यहां अंडे का रेट बढ़ जाता है। अगर मंदसौर से लहसुन आना बंद हो जाए और प्याज नासिक की तरफ से आना बंद हो जाए तो यहां रेट बढ़ जाता है। हमारे यहां कटहल है। हमारे जशपुर में चाय है तो जगदलपुर में भी हो सकता है। यहां काजू, किशमिश का भी प्रोडक्शन होता है, उसकी भी मार्केटिंग यहां होनी चाहिए और जगह में कहां काजू लग सकता है, देखना चाहिए। हमें नित नए उपाय सोचना होगा। माननीय कृषि मंत्री जी, ये आप सोच सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप थोड़ी सी भी रूचि लेंगे तो हम अपनी इन्हीं सब व्यवस्थाओं को, हमारे इन्हीं सब विंग्स को चाहे वह बीज निगम हो, चाहे वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे मंडी बोर्ड हो, चाहे बीज निगम हो, चाहे एग्रीकल्चर का अमला हो, हम सब मिलकर को-ऑर्डिनेशन से अगर काम करेंगे तो हमारा प्रदेश धन धान्य से भरपूर प्रदेश बनेगा। मैं अंत में एक बात यह कहना चाहता हूं कि हार्टिकल्चर का हर क्षेत्र में बहुत महत्व है। साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तखतपुर में कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, वहां पर सिर्फ खेती और किसानी है। वहां पर पटेल समाज के लोग हैं। वहां पर बहुत बढ़िया खेती होती है। वहां पर सैकड़ों एकड़ में सब्जी और फल की खेती करते हैं। कुछ लोग फूल का भी लेने लगे हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे मांग की थी कि आप तखतपुर में एक हार्टिकल्चर कॉलेज खोल देंगे तो आपका नाम तो रहेगा ही, हम लोगों को भी लगेगा कि हम लोगों ने कोई अच्छा और पुण्य का काम कर दिया है। इसलिए एक हार्टिकल्चर कल्चर कॉलेज खोल दीजिए और मैं आपसे इसलिए उम्मीद कर रहा हूं कि आप बोलने में भी तेज हैं, सोचने में भी तेज हैं तो आप जरूर इस पर विचार करियेगा। अगर हो सके तो एक हार्टिकल्चर कॉलेज तखतपुर में खोलने की इसी वित्तीय बजट में आप घोषणा करियेगा ताकि मैं जब यहां से होली में जाउं तो लोगों को बता सकूं कि तखतपुर में हार्टिकल्चर कॉलेज खुल रहा है। हमारे सब पटेल समाज और किसान समाज के

लोगों से बात करके उनको बताउंगा कि अब नए-नए आपको वहां से ideas मिलेंगे और आप काम करियेगा। आपका बहुत अच्छा विभाग है। आपके पास अल्पसंख्यक विभाग भी है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, एक बात और बोल दूं। एक-दो जाति के लोग आये थे। उनको अनुसूचित जाति में मिलने के लिए कोई छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक के कारण नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको अभी होली के बाद लाउंगा। उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनकी मदद करियेगा। अगर सुविधा मिल सकती है तो हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप दे दीजिए और आपने तो बहुत लंबा सफर किया है। वर्ष 1990 से मध्यप्रदेश से चलते हुए अभी आप वर्ष 2025 में यहां बैठे हैं। तो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी सोच है, इसलिए आप इतनी दूर तक आये हैं तो उतनी ही दूर तक आपको कृषि को आगे ले जाने के लिए सोचने की जरूरत है और आप सोचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(2 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 (फाल्गुन 26, शक संवत, 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 12 मार्च, 2025